रजिस्टर्ड सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 8, 1976/वैशाख 18, 1898
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 8, 1976/VAISAKHA 18, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1976

सा० का० नि० 626. —भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 (1951-का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) द्वितीय संशोधन विनियम 1976 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2 भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 की अनुसूची में क्रम संख्या 6 के सामने हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित कालम 3 की प्रविष्ट में "कृषि उत्पादन आयुक्त" मद के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी।

"वरिष्ठतम आयुक्त और सरकार के सचिव"

[संख्या 11039/4/75-अ० भा० सं० (1)]

CABINET SECRETARIATE

(Department of Personnel & Administration Reforms)

New Delhi, the 20th April, 1976

G.S.R. 626.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Himachal Pradesh and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service(Appointment by Promotion) Regulation, 1955, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Second Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force with effect for the date of their publication in the Official Gazete.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 in the entries against Serial No. 6 relating to the State of Himachal Pra-

desh in column 3 for the item Agriculture Production Commissioner" the following item shall be substituted namely :—

"Seniormost Commissioner and Secretary to the Govt."

[No. 11039/4/76-AIS(I)]

सा० का० नि० 627.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उपनियम (1) के अनुसरण मे, राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमो का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) तृतीय संशोधन विनियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 के विनियम 5 मे उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जायगा, अर्थात् —

"(2) समिति, राज्य सिविल सेवा के सदस्यो के मामलो पर उस सेवा मे ज्येष्ठतम के क्रम में उतनी संख्या को, जो उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट संख्या से पांच गुनी हो, उक्त सूची मे सम्मिलित करने के लिए विचार करेगी :

परन्तु ऐसा निर्बन्धन ऐसे राज्य की बाबत लागू नही होगा, जहां पात्र अधिकारियों की कुल संख्या चयन सूची की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या के पांच गुने से कम है और ऐसी दशा में समिति सभी पात्र अधिकारियों के नामों पर विचार करेगी :

परन्तु यह और कि विचारार्थ सम्मिलित की जाने वाली संख्या की संगणना करने में उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों की संख्या को अपवर्जित कर दिया जायगा :

परन्तु यह और भी कि समिति राज्य सिविल सेवा के किसी सदस्य के मामले पर तब तक विचार नहीं करेगी, जब तक कि उस वर्ष की जिसमे समिति का अधिवेशन हो, जनवरी के प्रथम दिन को, वह राज्य सिविल सेवा में अधिष्ठायी न हो जाए और उसने उप कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर भी नियमित सेवा (चाहे स्थानापन्न या अधिष्ठायी) के कम से कम 8 वर्ष पूरे न कर लिये हों।

"स्पष्टीकरण:—इस उप विनियम के तृतीय परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग किसी संघटक राज्य की राज्य सिविल सेवा के सदस्यों के संबंध में उस राज्य की सरकार द्वारा किया जायगा।"

[संख्या 11039/2/76-अ० भा० से० (1) क]

G.S.R. 627.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the State Government and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Third Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 5 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, for sub-regulation (2) the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(2) The Committee shall consider for inclusion in the said list, the cases of members of the State Civil Service in the order of seniority in that service of a number which is equal to five times that number referred to in sub-regulation (1) :

Provided that such restriction not apply in respect of a State where the total number of eligible officers in less than five times the maximum permissible size of the select list and in such a case the Committee shall consider all the eligible officers.

Provided further that in computing the number for inclusion in the field of consideration, the number of officers referred to in sub-regulations (3) shall be excluded.

Provided also that the Committee shall not consider the case of member of the State Civil Service unless on the first day of January of the year in which it meets, he is substantive in the State Civil Service and has completed not less than eight years of continuous service (whether officiating or substantive) in the post of Deputy Collector or in any other post or posts declared equivalent thereto by the State Government.

EXPLANATION : The powers of the State Government under the third proviso to this sub-regulation shall be exercised in relation to the members of the State Civil Service of a constituent State, by the Government of that State."

[No. 11039/2/76-AIS (I)-A]

सा० का० नि० 628.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती नियम, 1954 के नियम 9 के उपनियम (1) के अनुसरण में, राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमो का नाम भारतीय पुलिस सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय पुलिस सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5 मे उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जायगा, अर्थात् :—

"(2) समिति, राज्य पुलिस सेवा के सदस्यो के मामलो पर उस सेवा में ज्येष्ठता के क्रम में उतनी संख्या को, जो उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट संख्या से पांच गुनी हो, उक्त सूची मे सम्मिलित करने के लिए विचार करेगी :

परन्तु ऐसा निर्बन्ध ऐसे राज्य की बाबत लागू नही होगा, जहां पात्र अधिकारियों की कुल संख्या चयन सूची की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या के पांच गुने से कम है और ऐसी दशा में समिति सभी पात्र अधिकारियो के नामो पर विचार करेगी :

परन्तु यह और कि विचारार्थ सम्मिलित की जाने वाली संख्या की संगणना करने में उपविनियम (3) मे विनिर्दिष्ट अधिकारियों की संख्या को अपवर्जित कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि समिति राज्य पुलिस सेवा के किसी सदस्य के मामले पर तब तक विचार नही करेगी, जब तक कि उस वर्ष को जिसमें समिति का अधिवेशन हो जनवरी के प्रथम दिन को यह राज्य

पुलिस सेवा में अधिष्ठायी न हो जाए और उसने पुलिस के उप अधीक्षक या राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर भी नियमित सेवा (चाहे स्थानापन्न या अधिष्ठायी) के कम से कम 8 वर्ष पूरे न कर लिए हों।

स्पष्टीकरण :— इस उपविनियम के तृतीय परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग, किसी संघटक राज्य की, राज्य सिविल सेवा के सदस्यों के संबंध में उस राज्य की सरकार द्वारा किया जायगा।"

[संख्या 11039/2/76-अ० भा० से० (I) ख]

G.S.R. 628.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the State Government and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 5 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(2) The Committee shall consider, for inclusion in the said list, the cases of members of the State Police Service in the order of seniority in that service of a number which is equal to five times the number referred to in sub-regulation (1).

Provided that such restriction shall not apply in respect of a State where the total number of eligible officers is less than five times the maximum permissible size of the select list and in such a case the Committee shall consider all the eligible officers.

Provided further that in computing the number for inclusion in the field of consideration, the number of officers referred to in sub-regulations (3) shall be excluded.

Provided also that the Committee shall not consider the case of a member of the State Police Service unless, on the first day of January of the year in which it meets, he is substantive in the State Police Service and has completed not less than eight years of continuous service (whether) officiating or substantive in the post of Deputy Superintendent of Police or in any other post or posts declared equivalent thereto by the State Government.

EXPLANATION : The powers of the State Government under the third proviso to this sub-regulation shall be exercised in relation to the members of the State Civil Service of a constituent State, by the Government of that State."

[No. 11039/2/76-AIS (I)-B]

सा०का०नि० 629.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) के अनुसरण में, राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय वन सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय वन सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1966 के विनियम 5 में उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा अर्थात् :—

(2) समिति राज्य वन सेवा के सदस्यों के मामलों पर उस सेवा में ज्येष्ठता के क्रम में उतनी संख्या को, जो उपविनियम (1) में निर्दिष्ट संख्या से पांच गुनी हो, उक्त सूची में सम्मिलित करने के लिए विचार करेगी —

परन्तु ऐसा निबन्धन ऐसे राज्य को बाबत लागू नहीं होगा, जहां पात्र अधिकारियों की कुल संख्या चयन सूची की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या के पांच गुने से कम है और ऐसी दशा में समिति सभी पात्र अधिकारियों के नामों पर विचार करेगी।

परन्तु यह और कि विचारार्थ सम्मिलित की जाने वाली संख्या की संगणना करने में उपनियम विनियम (3) में निर्दिष्ट अधिकारियों की संख्या को उपवर्जित कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और भी कि समिति राज्य वन सेवा के किसी सदस्य के मामले पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक कि उस वर्ष की जिसमें समिति का अधिवेशन हो, जनवरी के प्रथम दिन को वह राज्य वन सेवा में अधिष्ठायी न हो जाए और उसने सहायक वन संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर भी नियमित सेवा (चाहे स्थानापन्न या अधिष्ठायी) के कम से कम वर्ष पूरे न कर लिए हों।

स्पष्टीकरण :—इस उप विनियम के तृतीय परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग किसी संघटक राज्य की राज्य सिविल सेवा के सदस्यों के संबंध में उस राज्य की सरकार द्वारा किया जाएगा।

[संख्या 11039/2/76-अ० भा० से० (I)-ग]

बी० एम० बसवान, अवर सचिव

G.S.R. 629.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, the Central Government in consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 5 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(2) The Committee shall consider for inclusion in the said list, the cases of members of the State Forest Service in the order of seniority in that service of a number which is equal to five times the number referred to in sub-regulation (1).

Provided that such restriction shall not apply in respect of a Stta where the total number of eligible officers is less than five times the maximum permissible size of the select list and in such a case the Committee shall consider all the eligible officers.

Provided further that in computing the number for inclusion in the field of consideration, the number of officers referred to in Sub-regulation (3) shall be excluded.

Provided also that the Committee shall not consider the case of a member of the State Forest Service unless, on the first day of January of the year in which it meets he, is substantive in the State Forest Service and has completed not less than eight years of continuous service (whether officiating or substantive) in the post of Asstt. Conservator of Forest or in any other post or posts declared equivalent thereto by the State Government.

EXPLANATION.—The powers of the State Government under the third proviso to this sub-regulation shall be exercised in relation to the members of the State Civil Service of a constituent State, by the Government of that State."

[No. 11039/2/76-AIS (I)-C]
B. S. BASWAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1976

सा० का० नि० 630.—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् --

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि), संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1975 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2 अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, 1955 में नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"15 क--अभिदाताओं के लिए प्रोत्साहन बोनस स्कीम :--

(1) सेवा का कोई सदस्य, जो अपने भविष्य निधि खाते से एक वर्ष के दौरान कोई रकम नहीं निकलाता है, वर्ष के दौरान किए गए अभिदाय पर बोनस अर्जित करने का हकदार होगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन सदेय बोनस एक प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा और ऐसे बोनस की कुल राशि निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जाएगी (पचास पैसों को अगला एक रुपया माना जाएगा)।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए "रकम निकालना" से प्रतिदेय और अप्रतिदेय दोनों प्रकार से रकम निकालना अभिप्रेत है। जीवन बीमा पालिसी के प्रति सदाय से अभिदाता इस नियम के अधीन दी जाने वाली प्रसुविधाओं के लिए अपात्र नहीं होगा। किन्तु ऐसे मामलों में बोनस का संबंध ऐसी बीमा पालिसियों के प्रति संदायों की कटौती करने के पश्चात् वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए शुद्ध अभिदाओं से होगा।

(4) इस प्रकार संगणित बोनस अभिदाता के खाते में जमा कर दिया जाएगा और यह निधि में उसके खाते में जमा अतिशेषों पर अनुज्ञात ब्याज के अतिरिक्त होगा।

(5) इस नियम के अधीन संगणित बोनस की राशि लेखा-शीर्ष "249-ब्याज संदाय-सी अल्प बचतों पर ब्याज, भविष्य निधि आदि-भविष्य निधि अभिदाताओं को प्रोत्साहन बोनस" में विकलित की जाएगी।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के लिए प्रोत्साहन बोनस स्कीम अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पहली अप्रैल, 1975 के केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू की गई इसी प्रकार की योजना की रूपरेखा के आधार पर लागू की गई है। उक्त बोनस स्कीम में अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे सदस्य शामिल किए जाएंगे जो पहली अप्रैल, 1975 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में अपने भविष्य निधि लेखे से कोई भी रकम नहीं निकालेंगे। अतः अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) नियम, 1955 को पहली अप्रैल, 1975 से संशोधित किया जा रहा है। उक्त नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किए जाने से किसी भी अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[संख्या 11026/2/76-एस० आई० एस०(3)]
आ० ए० अग्रवाल, अवर सचिव

G.S.R. 630.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Government of States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955, namely:--

1. (1) These rules may be called the All India Services (Provident Fund) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the Ist April, 1975.

2. In the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955, after rule 15, the following rule shall be inserted namely :—

"15A. Incentive Bonus Scheme for subscribers.

(1) A member of the Service who does not make any withdrawals from his provident fund account during a year shall be entitled to earn a bonus on the subscriptions made during the year.

(3) The bonus payable under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of one per cent and the total amount of such bonus shall be rounded to the nearest whole rupee (fifty paise counting as the next higher rupee).

(3) For the purposes of this rule, "withdrawal" means both refundable and non-refundable withdrawals. Payments towards policies of life insurance shall not make the subscriber ineligible for the benefit conferred under this rule, but the bonus will, in such cases, be related to the net subscriptions made during the year after deducting the payments towards such insurance policies.

(4) The bonus so calculated shall be credited to the account of the subscriber and shall be in addition to the interest allowed on the balances lying to the credit of his account in the fund.

(5) The amount of bonus calculated under this rule shall be debited to the head of account "249-Interest Payments-C-Interest on small savings, Provident Fund, etc.—Incentive Bonus to Provident Fund subscribers".

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Incentive Bonus Scheme for the members of the All India Services has been introduced on the pattern of a similar scheme introduced with effect from the Ist April, 1975, by the Central Government for the other Central Government employees. The Bonus Scheme will cover the members of the All India Services who do not withdraw any amount from their provident fund accounts from the financial year commencing from the Ist April, 1975. The All India Services (Provident Fund) Rules, 1955, are therefore bing amended from the Ist April, 1975. No officer is likely to be affected adversely because of the said rules being amended retrospectively.

[No. 11026/2/76-AIS (III)]

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1976

सा०का०नि० 631.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबद्ध राज्यों की सरकारों से परामर्श के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) द्वितीय संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, 1955 के नियम 13 के उपनियम (1) में—दूसरे परन्तुक में, अंक "1,00,000" के स्थान पर अंक "1,25,000" रखे जायेंगे।

[संख्या 11026/8/75-ए० आई० एस०(3)]

आर० एल० अग्रवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd April, 1976

G.S.R. 631.—In exercise of the poowers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Provident Fund) second Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (1) of rule 13 of the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955, in the second proviso, for the figures "1,00,000" the figures "1,25,000" shall be substituted.

[No. 11026/8/75-AIS (III)]

R. L. AGGARWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1976

सा०का०नि० 632.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 की पहली अनुसूची में क्रम संख्या 12 पर गृह मंत्रालय से सम्बंधित प्रविष्टि के संबंध में कालम (3) में दी गई प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी, अर्थात् —

"(xi) राजभाषा विभाग"

[संख्या 21/37/75- के०से०-(1)(3)]

New Delhi, the 20th April, 1976

G.S.R. 632.—In exercise of the powers, conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969 namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Stenographers Service (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969, in the First Schedule in the entries relating to Serial No. 12 "Ministry of Home Affairs" in column (3), after the existing entries, the following entry shall be inserted, namely :—

"(xi) Department of Official Language".

[No. 21/37/75-CS (I) (iii)]

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1976

सा०का०नि० 633.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इन के प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1962 की पहली अनुसूची में क्रम संख्या 12 पर "गृह मंत्रालय" से संबंधित प्रविष्टि के कालम (3) में दी गई प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायगी, अर्थात् —

"(xi) राजभाषा विभाग"

[सं० 21/37/75-के०से०-(1)(2)]

के० बी० नायर, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd April, 1976

G.S.R. 633.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Clerical Service (Second Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, in the First Schedule in the entries relating to S. No. 12 "Ministry of Home Affairs" in column (3) after the existing entries, the following entry shall be inserted, namely :—

"(xi) Department of Official Language".

[No 21/37/75-CS (I) (ii)]

K. B NAIR, Under Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल

सा०का०नि० 634.—उच्चतम न्यायालय अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की

के खण्ड (घ) के साथ पठित, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् .—

1. (1) इन नियमों का नाम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 में:—

(i) नियम 4 में, "पन्द्रह दिन" शब्दों के, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आये हैं, स्थान पर, "एक मास" शब्द रखे जायेंगे ,

(ii) नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् .—

"4क विनिर्दिष्ट से अधिक ठहरने की अवधि के लिये भाटक—(1) जहां कोई न्यायाधीश नियम 4 में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद भी निवास स्थान को अधिभोग में रखे, वहां उसे विनिर्दिष्ट से अधिक ठहरने की अवधि के लिये, मूल नियम 45-ख के उपबन्धों के अनुसार संगणित भाटक तथा पूर्ण विभागीय प्रभारों का, या यदि भाटकों की वर्गीकृत कर दिया गया हो तो मूल नियम 45-क के अधीन वर्गीकृत मानक भाटक का, इनमें से जो अधिक हो, संदाय करना होगा ।

(2) जहां किसी न्यायाधीश की सेवा-काल में मृत्यु हो जाए, वहां उसके कुटुम्ब के सदस्य निवास स्थान को मूल नियम 45-क के उपबन्धों के अनुसार संगणित भाटक, या, यदि भाटक वर्गीकृत कर दिया गया हो तो उस नियम के अधीन मानक भाटक का संदाय करने पर, नियम 4 में विनिर्दिष्ट अवधि के अतिरिक्त, एक मास से अनधिक और अवधि के लिये अधिभोग में रखने के हकदार होंगे ।"

[संख्या 1/45/73-न्याय]

आर० एल० परदीप, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

New Delhi, the 22nd April, 1976

G.S.R. 634.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (d) of sub-section (2) of section 24 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Supreme Court Judges, Rules, 1969,—

(i) in rule 4, for the words "fifteen days", at both the places where they occur, the words "one month" shall be substituted;

l, the following rule shall be inserted,

or period of over-stay.—(1) Where a cupies a residence beyond the period 'n rule 4, he shall be liable to period of over-stay, rent calculated e with the provisions of Funda-45-B together with full depart-or, if the rents have been pooled, the pooled standard rent under Fundamental Rule 45-A, whichever is higher.

(2) Where a judge dies while in service the members of his family shall, in addition to the period specified in rule 4, be entitled to occupy residence for a further period not exceeding one month by making payment of rent calculated in accordance with the provisions of Fundamental Rules 45-A, or, if the rents have been pooled, the standard rent under that rule".

[No. 1/45/73-Jus]

R. L. PRADEEP, Dy. Secy.

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1976

सा०का०नि०635.—केन्द्रीय सरकार, अभिलेख नाश-करण अधिनियम 1917 (1917 का 5) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिलेख नाशकरण (कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 इन नियमों का नाम अभिलेख नाश-करण (कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय) संशोधन नियम, 1976 है ।

2. अभिलेख नाश-करण (कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय) नियम, 1957 में, —

(i) मद (3) में, उप-मद 2 का लोप किया जाएगा ;

(ii) मद (4) में, उप-मद 9 के पश्चात् निम्नलिखित उप-मद अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"10. समस्त पत्र व्यवहार जिसमें सुलन-पत्रों की समीक्षा, अभियोजन, प्रादेशिक निदेशकों और कम्पनी विधि बोर्ड को रिपोर्ट, जिसके अन्तर्गत धारा 209 की उपधारा (4) के अधीन निरीक्षण भी हैं, से सम्बन्धित पत्र-व्यवहार भी है तथा परिवादों के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार ।",

(iii) मद (6) में, विद्यमान उप-मद की, उप-मद (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उप-मद के पश्चात्, निम्नलिखित उप-मद अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्.—

"2. फीसों, अतिरिक्त दाखिला फीसों के संदाय की बात नैमित्तिक पत्र-व्यवहार और दस्तावेजों की वापसी के बारे में पत्र-व्यवहार का परिरक्षण तीन वर्ष के लिए किया जाएगा" ।

[फा० सं० 2/14/76-सी०एल०V]

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 27th April, 1976

G.S.R. 635.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Destruction of Records Act, 1917 (5 of 1917), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Disposal of Records (in the offices of the Registrar of Companies) Rules, 1957, namely:—

1. These rules may be called the Disposal of Records (in the offices of the Registrar of Companies) Amendment Rules, 1976.

2. In rule 4 of the Disposal of Records (in the offices of Registrar of Companies) Rules, 1957,—

(i) in item (3), sub-item 2 shall be omitted:

(ii) in item (4), after sub-item 9, the following sub-item shall be inserted, namely —

"10 All correspondence including correspondence relating to scrutiny of balance sheets, prosecutions reports to the Regional Directors and Company Law Board including inspections under sub-section (4) of section 209 and the correspondence relating to complaints",

(iii) in item (6) the existing sub-item shall be numbered as sub-item 1 thereof and after the sub-item as so numbered, the following sub-item shall be inserted, namely —

"2 Routine correspondence regarding payment of fees, additional filing fees and correspondence about return of documents shall be preserved for three years"

[File No 2/14 76-CL-V]

सा०का०नि० 636 —केन्द्रीय सरकार, अभिलेख नाशकरण अधिनियम, 1917 (1917 का 5) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक निदेशकों के कार्यालय (अभिलेख नाशकरण) नियम 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं —इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) 'अधिनियम" से कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) अभिप्रेत है,

(ख) कम्पनी का वही अर्थ है जो उसका अधिनियम में है और इसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा 591 के अर्थ में विदेशी कम्पनी भी है।

3 अभिलेखों का परिरक्षण —नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में, उक्त सारणी के स्तम्भ 3 से 7 तक में सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट अभिलेख, उक्त स्तम्भ 3 से 7 तक में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परिरक्षित किए जाएंगे।

सारणी

क्रम सं०	अभिलेखों की विशिष्टियां	परिरक्षण की अवधि				
		स्थायी रूप से	30 वर्ष तक	21 वर्ष तक	10 वर्ष तक	5 वर्ष तक
1	2	3	4	5	6	7
1	कम्पनी का नाम बदलने के लिए अधिनियम की धारा 21 के अधीन आवेदन की बाबत कागज-पत्र।	अनुमोदन पत्र की प्रति	—	—	अन्य कागज-पत्र	—
2	कम्पनी के नाम की परिशुद्धि के लिए अधिनियम की धारा 22 के अधीन आवेदन की बाबत कागज-पत्र।	अनुमोदन पत्र की प्रति	—	—	अन्य कागज-पत्र	—
3	अधिनियम की धारा 25 के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए उक्त धारा के अधीन आवेदन की बाबत कागज-पत्र।	अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए दाखिल किए गए मूल कागज-पत्र और अनुज्ञप्ति की प्रति।	—	—	—	अन्य कागज-पत्र
4	पब्लिक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी में संपरिवर्तित करने करने के लिए अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन आवेदन की बाबत कागज-पत्र।	अनुमोदन पत्र की प्रति	—	—	अन्य कागज-पत्र	—
5	पब्लिक कम्पनी के प्राइवेट कम्पनी में पुनर्संपरिवर्तन के लिए अधिनियम की धारा 43 क की उपधारा (4) के अधीन आवेदन।	अनुमोदन पत्र की प्रति	—	—	अन्य कागज-पत्र	—
6	अधिनियम की धारा 108 (1ब) के अधीन आवेदन।	—	—	—	—	सभी कागज-पत्र
7	साधारण अधिवेशन बुलाने के लिए अधिनियम की धारा 167 के अधीन आवेदन की बाबत कागज-पत्र।	केन्द्रीय सरकार के निदेश की प्रति	—	—	—	अन्य कागज पत्र

1	2	3	4	5	6	7
8	अधिनियम की धारा 224 की उपधारा (3) और (8) के अधीन संपरीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक की बाबत कागज-पत्र ।	नियुक्ति पत्र और संपरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करने के पत्र की प्राप्ति	—	—	—	अन्य कागज-पत्र
9	अधिनियम की धारा 243 के अधीन कम्पनी के परिसमापन के लिए अर्जी (अधिनियम की धारा 439) ।	—	—	—	सभी कागज-पत्र	—
10	समझौते ठहराव, समामेलन, माध्यस्थ, आदि की बाबत सूचना (अधिनियम की धारा 394क) ।	—	—	—	सभी कागज-पत्र	—
11	समापकों का कम्पनी का साधारण अधिवेशन और लेनदारों का अधिवेशन बुलाने के लिए समय का विस्तारण (अधिनियम की धारा 496 और 508) ।	—	—	—	—	सभी कागज-पत्र
12	समापकों का लेखा और फाइल करने से दी गई छूट की बाबत कागज-पत्र (अधिनियम की धारा 591) ।	—	—	सभी कागज पत्र	—	—
13	कम्पनी के परिसमापन खाते से धन के सदाय की बाबत कागज-पत्र (अधिनियम की धारा 555(7) और (9)]।	—	—	सभी कागज-पत्र	—	—
14	प्रास्पैक्टस से सम्बन्धित अभिलेखों के निरीक्षण की बाबत कागज-पत्र (अधिनियम की धारा 610)।	—	—	—	—	सभी कागज पत्र
15	कम्पनी के कार्यकलाप के प्रबन्ध के सम्बन्ध में अपराधों की बाबत न्यायालय का आदेशन (अधिनियम की धारा 627)	—	सभी कागज-पत्र	—	—	—

4 अभिलेखों का नष्ट किया जाना.— नियम 3 में निर्दिष्ट अभिलेख उस नियम में यथा विनिर्दिष्ट परिरक्षण की अवधि की समाप्ति के पश्चात नष्ट किए जा सकते हैं और ऐसा कोई अभिलेख तब के सिवाय नष्ट नहीं किया जाएगा जब प्रादेशिक निदेशक का लिखित में पूर्व आदेश की अभिप्राप्त कर लिया जाता है ।

5 नष्ट किए गए दस्तावेजों के अभिलेख का बनाए रखना ।.—प्रादेशिक निदेशक इससे उपाबद्ध उपबंध में वर्णित प्ररूप में, दो भागों में, एक रजिस्टर रखेगा जिसमें वह नष्ट किए गए अभिलेखों की संक्षिप्त विशिष्टियां दर्ज करेगा और नाशकरण की तारीख और पद्धति अपने हाथ से प्रमाणित करेगा ।

6 अन्य नियमों का लागू होना वर्जित न होना.—इन नियमों के उपबंध, लेखाओं के सम्बन्ध में कार्यालय अभिलेखों के नष्ट किए जाने के लिए नियमों के (जो कि साधारण वित्तीय नियमों के संग्रह के उपाबंध 17 में सम्मिलित हैं) अतिरिक्त है और उनकी अल्पीकरण करने वाले नहीं हैं ।

उपाबंध

भाग 1

(कम्पनियों से सम्बन्धित दस्तावेजों की विशिष्टि)

कम्पनी का नाम	किस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है?	अन्तिम रूप से विघटन या परिसमापन या हटाए जाने की तारीख	नष्ट किए गए दस्तावेजों का विवरण	नष्ट किए जाने की तारीख और पद्धति प्रादेशिक निदेशक के आद्याक्षरों सहित
1	2	3	4	5

भाग 2

(भाग 1 में विनिर्दिष्ट से भिन्न दस्तावेजों की विशिष्टियां)

नष्ट की गई फाइल या दस्तावेज की संख्या	दस्तावेज किस विषय के सम्बन्ध में है?	नष्ट की गई दस्तावेजों का विवरण	नष्ट करने की तारीख और पद्धति प्रादेशिक निदेशक के आद्याक्षरों सहित
1	2	3	4	5

[फा०सं० 2/14/76-सी०एल० 5]

के० एम० शर्मा, अवर सचिव

G.S.R.636. —In exercise of the powers conferred by section 3 of the Destruction of Records Act, 1917 (5 of 1917), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) The e rules may be called the offices of the Regional Directors (Destruction of Records) the Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Companies Act, 1956 (1 of 1956) ;

(b) "Company" has the same meaning assigned to it in the Act and includes a foreign company within the meaning of section 591 of the Act.

3. Preservation of records. The records specified in columns 3 to 7 of the Table below in relation to the subject matter specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table shall be preserved for the periods specified in the said columns 3 to 7.

TABLE

Sl. No.	Particulars of records	To be preserved for				
		Permanently	30 Years	21 Years	10 Years	5 Years
1	2	3	4	5	6	7
1.	Papers regarding application under section 21 of the Act for change in the name of the company.	Copy of the approval letter.	—	—	Other Papers	—
2.	Papers regarding application under section 22 of the Act for rectification of the name of the company.	Copy of the approval letter	—	—	Other Papers	—
3.	Papers regarding application under section 25 of the Act for granting licence under the section.	Original Papers filed for the grant of licence and the copy of the licence.	—	—	—	Other Papers
4.	Papers regarding application under the proviso to sub-section (1) of section 31 of the Act for the conversion of a public company into a private company.	Copy of the approval letter.	—	—	Other Papers	—
5.	Papers regarding application under sub-section (4) of section 43A of the Act for reconversion of a Public company into a private company.	Copy of the approval letter.	—	—	Other Papers	—
6.	Applications under section 108 (1D) of the Act.	—	—	—	—	All Papers
7.	Papers regarding application under section 167 of the Act for calling annual general meeting.	Copy of the direction of the Central Government.	—	—	—	Other Papers
8.	Papers regarding appointment of auditors and their remuneration under sub-sections (3) and (8) of section 224.	Copy of the appointment letters and letter fixing remuneration of the auditors.	—	—	—	Other Papers
9.	Petition to wind up a company under section 243 of the Act. (Section 439 of the Act)	—	—	—	All Papers	—
10.	Notice regarding compromise, arrangement, amalgamation, arbitration, etc. (Section 394A of the Act)	—	—	—	All Papers	—
11.	Extension of time to liquidators to call general meetings of the company and a meeting of the creditors (Section 496 and 508 of the Act).	—	—	—	—	All Papers
12.	Papers in respect of exemptions granted to the liquidators from filing the statement of accounts. (Section 551 of the Act)	—	—	—	—	All Papers
13.	Papers regarding the payment of money from companies' liquidation account. (Section 555 (7) and (9) of the Act.)	—	—	All Papers	—	—
14.	Papers regarding Inspection of records connected with Prospectus. (Section 610 of the act)	—	—	—	—	All Papers
15.	Application to Court regarding offences in connection with the management of the Company's Affairs (Section 627 of the Act)	—	All Papers	—	—	—

4 Destruction of records —The records referred to in rule 3 may be destroyed after the expiry of the periods of their preservation as specified in that rule and no such record shall be destroyed except after obtaining the previous orders in writing of the Regional Director

5 Records of documents destroyed to be maintained —The Regional Director shall maintain a register in two parts in the form set out in the Appendix annexed hereto, wherein he shall enter brief particulars of the records destroyed and shall certify under his own hand therein the date and mode of destruction

6 Application of other rules not barred —The provisions of these rule shall be in addition to and not in derogation of the rules for the destruction of offices records connected with accounts (contained in Appendix 17 to the compilation of the General Financial Rules)

APPENDIX

PART—I

(Particulars of documents relating to companies)

Name of the Company	Act under which registered	Date on which finally dissolved or would up or struck off	Description of documents destroyed	Date and mode of destruction with initials of Regional Director
1	2	3	4	5

PART—II

(Particulars of documents other than those specified in Part—I)

No of the file or document destroyed	Subject to which the document refers	Description of documents destroyed	Date and mode of destruction with initials of Regional Director
1	2	3	4

[File No 2/14/76-C1-V]

K M SHARMA Under Secy

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली 5 अप्रैल, 1976

सा० का० नि०637— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी ने मूल नियमावली में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए हैं अर्थात् —

1 (1) ये नियम मूल (पहला संशोधन) नियमावली, 1976 कहलाएंगे।

(2) ये जनवरी, 1973 की पहली तारीख से प्रभावी हुए माने जाएंगे।

2 मूल नियमावली में नियम 30 की अनुसूची में प्रविष्टि (13) के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

'(13) डाक और तार विभाग में उच्चतर चयन ग्रेड I पोस्ट मास्टरों के पद, जब डाक घरों के सहायक अधीक्षक द्वारा धारण किए जाएं।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस अधिसूचना द्वारा जो संशोधन किया जा रहा है वह 26-4-75 को जारी की गई मूल (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1975 के माध्यम से पहले ही कर दिया गया था। वह भारत के राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभाव में आया था इस संशोधन की आवश्यकता तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर डाकघरों के सहायक अधीक्षक और एच एस जी-I पोस्ट मास्टरों के वेतनमानों के संशोधन के कारण हुई जो 1-1-73 से प्रभाव में आए थे। एतद्नुसार, यह आवश्यक था कि उपर्युक्त संशोधन 1-1-73 से पश्चात् में आए जोकि वेतनमानों के संशोधन की तारीख है। वर्तमान संशोधन इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया। 1-1-73 से इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी सरकारी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[संख्या फा० 1 (16)-संख्या० III(क)/75]

पी० एस० वेंकटेश्वरन उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 5th April, 1976

G.S.R. 637.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, namely —

1 (1) These rules may be called the Fundamental (First Amendment) Rules, 1976

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1973

2 In the Fundamental Rules, in the Schedule to Rule, 30, for entry (13), the following entry shall be substituted, namely —

"(13) Posts of Higher Selection Grade-I Postmasters in the Post and Telegraphs Department when held by Assistant Superintendent of Post Offices

EXPLANATORY MEMORANDUM

The amendment sought to be made by this notification was already made by the Fundamental (Third Amendment) Rules 1975 issued on 26 4-75 This took effect from the date of its publication in the Gazette of India The amendment was necessitated because of the revision of the pay scales of Assistant Superintendent of Post Offices and HSG I Post Masters on the recommendations of the Third Pay Commission which took effect from 1-1-73 Accordingly it was necessary that the aforesaid amendment should have effect from 1-1-73 the date of revision of the pay scales The present amendment seeks to achieve this object By giving retrospective effect to this amendment w e f 1-1 73 Government servant is likely to be adversely affected

[No F 1(16)-E III(A)/75]

P S VENKATESWARAN, Dy Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1976

सा० का० नि० 638 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्यक आसूचना और सांख्यिकी विभाग कलकत्ता में मशीन सारणीकरण अधिकारी भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का नाम मशीन सारणीकरण अधिकारी, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी विभाग, कलकत्ता भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 मशीन सारणीकरण अधिकारी, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी विभाग, कलकत्ता भर्ती नियम, 1969 की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
मशीन सारणीकरण अधिकारी	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) अलिपिकवर्गीय	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक (सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) टिप्पण —आयु सीमा निर्धारित करने के लिये निर्णायक तारीख (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से भिन्न) आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक —(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में उपाधि या समतुल्य या गणित या सांख्यिकी ऐच्छिक विषय सहित उपाधि। (2) पंच कार्ड उपस्कर पर आंकड़ा में प्रशिक्षण। (3) किसी सरकारी कार्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या किसी ख्यातिप्राप्त कारबारी समुत्थान में मशीन सारणीकरण स्कर के प्रचालन तथा ऐसे उपस्कर पर आयोजना और पर्यवेक्षण कार्यों का 3 वर्ष का अनुभव। (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती है; विशेषतः अनुभव सम्बन्धी अर्हताएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये शिथिल की जा सकती है।) वांछनीय —किसी मान्यताप्राप्त सांख्यकीय संस्थान से स्नातकोत्तर प्रशिक्षण।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा यदि भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा/की जाएगी	विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों के वे अधिकारी जो संवृत्त पद धारण करते हैं अथवा जिन्होंने 550-900 रु० के वेतनमान वाले पदों पर या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 3 वर्ष सेवा की हो तथा स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित

[फाइल सं० 3/2/68-ई०-1]

ओम प्रकाश गुप्त, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 28th February, 1976

G.S.R. 638.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Machine Tabulation Officer, Department of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta, Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Machine Tabulation Officer, Department of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta, Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Machine Tabulation Officer, Department of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta, Recruitment Rules, 1969, for the existing Schedule, the following Schedule shall be sustituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Machine Tabulation Officer	1	General Central Service Group 'B' (Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determining the age shall be the closing date for receipt of applications from candidates (other than in the Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent in Commerce or a degree with Mathematics or Statistics as an elective subjects. (ii) Training in processing of date on punch card equipment. (iii) Three years experience of operating mechanical tabulation equipment and of planning and supervising work in such equipment in a Government office or a recognised Institute or a business concern of repute. (Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in the case of candidates otherwise well qualified in particular the qualifications regarding experience is relaxable for candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes). Desirable : Post-Graduate Training at a recognised Statistical Institute.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment	Transfer on deputation : Officers from the Central or State Governments holding analogous posts or with 3 years service in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis, and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[F. No. 3/2/68-E.I]
O. P. GUPTA, Under Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1976

सा०का०नि० 639.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तकनीकी विकास महानिदेशालय, औद्योगिक विकास विभाग में प्राक्कलक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का नाम तकनीकी विकास महा निदेशालय (प्राक्कलक) भर्ती नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान —उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है ।

4 निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6 व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्राक्कलक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह (ग) अराजपत्रित अननुसचिवीय	320-15-380 (पुनरीक्षण पूर्व)	लागू नहीं होता	22 से 30 वर्ष के बीच	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य । (2) किसी संरचनात्मक या भवन सन्निर्माण कार्य में लगी कर्मशाला में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव ।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे समिति है तो उसकी प्राप्ति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा/की जाएगी/किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति की रचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों का स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा

[फा० सं० क-12018/4/75-ई०-4]

के० श्रीनिवासन, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 23rd April, 1976

G.S.R. 639.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Estimator in the Directorate General of Technical Development, Department of Industrial Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1)These rules may be called, the Directorate General of Technical Development (Estimator) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. Number of post,classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached there to shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.— The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orders, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Estimator	1	General Central Services Group C Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 320-15-380 (Pre-revised)	Not applicable	Between 22 to 30 years	(i) Degree in Engineering of a recognised University/ Institution or equivalent. (ii) At least 2 years experience in any workshop engaged in structural or building construction work.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotee	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	Two years	By direct recruitment, failing which by transfer/deputation.	Transfer/deputation of officers holding analogous posts under the Central Government (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable	Not applicable

[F. No. A12018/4/75-E. IV]
K. SRINIVASAN, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1976

सा० का० नि० 640.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) में डिस्पैच राइडर (थ्री व्हीलर) के पद की भर्ती विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1.—संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन —

(1) इन नियमों का नाम इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) डिस्पैच राइडर (थ्री व्हीलर) भर्ती नियम, 1976 होगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान .—

पद की संख्या उसका वर्गीकरण और वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में लिखे अनुसार होगे।

3. भर्ती विधि, आयु सीमा, और अन्य योग्यताएं .—

उक्त पद के लिए भर्ती विधि, आयु सीमा, योग्यताए तथा अन्य बातें इस अनुसूची के कालम 5 से 13 में लिखे अनुसार होगी।

4.—अपात्रता — ऐसा कोई भी व्यक्ति —

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करना तय किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करना तय किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

लेकिन यदि केन्द्र सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष के वैयक्तिक कानून के अधीन मान्य है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5.—छूट देने का अधिकार .—

जहां केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसा आवश्यक या समीचीन है, वहां वह ऐसे कारणों का उल्लेख करते हुए एक आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग, के व्यक्तियों या पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध में छूट दे सकती है।

6. अपवाद .—

इन नियमों की किसी भी बात का, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के लिए किए जाने वाले आरक्षणों तथा अन्य नियमों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

(देखिए नियम 2 व 3)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या अप्रवरण	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिये शैक्षिक व अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
डिस्पैचराइडर (थ्री व्हीलर)	1(एक)	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग ग, (अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय)	रु० 260-6-326-इ०रो०-350	लागू नहीं	23 और 30 वर्ष के बीच	अनिवार्य — मोटर साइकिल चलाने का वैध लाइसेंस तथा मोटर साइकिल चलाने का कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय मिडिल स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण हो।

क्या सीधी भर्ती के लिए नियत आयु और योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन	वे परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं।	2 वर्ष	स्थानांतरण द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानांतरण द्वारा. इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) के उन नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से, जो कालम 7 में उल्लिखित योग्यताएं रखते हों, ड्राइविंग परीक्षा के परिणामों के आधार पर—जो इस पद के लिए उपयुक्तता की जांच हेतु मोटर साइकिल चालकों के क्षमता स्तर के प्रसंग में जरूरी समझी गई हो।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

[फाइल संख्या ए-12018/3/75-स्थापना]
के०एन० भनोट, उप सचिव

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 20th March, 1976

G.S.R.640. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider (Three Wheeler) in the Ministry of Steel & Mines (Department of Mines) namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Ministry of Steel & Mines (Department of Mines) Despatch Rider (Three Wheeler) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay :—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications :—No person—

(a) who has entered into, or contracted, a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who , having a spouse living, has entered into, or contracted, a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

(See rules 2 and 3)

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Despatch Rider (Three Wheeler)	1 (One)	General Central Service Group C, (Non-gazetted, Non-ministerial).	Rs. 260-6-326-EB-8-350.	Not applicable	Between 23 and 30 years	Essential : Possession of valid driving licence for motor cycle and experience of driving a motor-cycle for atleast three years. Desirable : A Middle Standard Pass.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation/ if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer, and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years.	By transfer, failing which by direct recruitment.	By transfer : on the results of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in drivers of motor cycles, from amongst the regular Class-IV employees of the Ministry of Steel & Mines (Department of Mines) who possess the qualifications mentioned in column 7	Not applicable.	Not applicable.

[File No. A-12018/3/75-Estt.]
K.N. BHANOT, Dy. Secy

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1976

सा०का०नि० 641.—भारत के राजपत्र दिनांक 31 जनवरी, 1976 के भाग II खंड III उपखंड (i) में पृष्ठ 217-218, में प्रकाशित इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) भारत सरकार की दिनांक 12 जनवरी 1976 की अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 133 में पृष्ठ 218 पर—

कालम 11 में 'प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण' शीर्ष के नीचे "भारतीय रक्षा लेखा सेवा–आदि" के लिए

"भारतीय लेखापरीक्षा व लेखा सेवा, भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, आदि" पढ़ा जाए ।

[सं० ए-12018/5/57–खान-2]

ए०एस० देशपाण्डे, अपर अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th April, 1976

G.S.R. 641—In the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) number G. S. R. 133 dated the 12th January, 1976, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 31st January, 1976, at pages 217-218 at page 218—

in the entry below Column 11, under the heading 'Transfer on deputation', for "Indian Defence Accounts Service, etc." read

"Indian Audit and Accounts Service, Indian Railway Accounts Service, Indian Defence Accounts Service etc."

[No A-12018/5/75-M-II]
A. S. DESHPANDE, Under Secy

13 GI/76—3

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1976

पत्तन

सा०का०नि० 642.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव-मंगलौर पत्तन (सिगनल बौमन, ज्येष्ठ सिगनलमैन, कनिष्ठ सिगनलमैन और खलासी) भर्ती नियम, 1975 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्.—

1 (1) इन नियमों का नाम नव-मंगलौर पत्तन (सिगनल बौमन ज्येष्ठ सिगनल मैन, कनिष्ठ सिगनल मैन और सिगनल खलासी) भर्ती (संशोधन) नियम 1976 है ।

2. नव-मंगलौर पत्तन (सिगनल बौमन, ज्येष्ठ सिगनलमैन, कनिष्ठ सिगनलमैन और सिगनल खलासी) भर्ती नियम, 1975 की अनुसूची में, कनिष्ठ सिगनलमैन के पद से सम्बद्ध क्रम सं० 3 के सामने स्तम्भ 7 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्–

"आवश्यक :

I किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य :

1. नौसेना का वर्ग II सिविलियन प्रमाणपत्र उत्तीर्ण ।

या

अन्तर्राष्ट्रीय कोड और संकेतन की सभी पद्धतियों का अच्छा ज्ञान तथा मोर्स और सेमाफोर द्वारा प्रतिमिनट 8 से 12 शब्द की दर से संदेश भेजने और प्राप्त करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव ।"

[सं० पी० ई० एल० 121/74]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 14th April, 1976

PORTS

G.S.R. 642.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President

hereby makes the following rules to amend the Port of New Mangalore (Signal Bosan, Senior Signalman, Junior Signalman and Signal Khalasi) Recruitment Rules, 1975, namely :—

1.(1) These rules may be called the Port of New Mangalore (Signal Bosan, Senior Signalman, Junior Signalman and Signal Khalasi) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Port of New Mangalore (Signal Bosan, Senior Signalman, Junior Signalman and Signal Khalasi) Recruitment Rules, 1975 against Serial No. 3 relating to the post of Junior Signalman, for the entries in column 7, the following entries shall be substituted, namely :—

"Essential :

1. Matriculation or its equivalent of any recognised University or Board.

2. Pass in Class II Civilian Certificate of the Navy.

OR

Good knowledge of International Code and all methods of signalling having experience atleast for one year in receiving and sending messages by Morse and Seamaphore at the rate of 8 to 12 words per minute."

[No. PFL-121/74]

Mrs. B. NIRMAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1976

पत्तन

सा०का०नि० 643.—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 25 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ख) और धारा 28 के खंड (क) और (ख) के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रथम विनियम बनाती है अर्थात्—

भाग 1—साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963(1963 का 38) अभिप्रेत है ;

(ख) किसी कर्मचारी के सबन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे उक्त विनियम द्वारा उस रूप में विहित किया गया हो ;

(ग) "बोर्ड", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" और "विभागाध्यक्ष" के वही अर्थ होंगे जो कि उन्हें क्रमश: अधिनियम में दिए गए हैं ;

(घ) "अनुशासनिक प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इन विनियमों के अधीन किसी कर्मचारी पर विनियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम है;

(ङ) "कर्मचारी" से बोर्ड का कर्मचारी अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति है जो इतर विभाग सेवा पर है या जिसकी सेवा अस्थायी रूप से बोर्ड के व्ययभाराधीन रखी गई है, और ऐसा व्यक्ति भी आता है जो केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी की सेवा में है और जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से बोर्ड के व्ययभाराधीन रखी गई है ,

(च) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

3 लागू होना—(1) ये विनियम बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी को लागू होंगे, किन्तु निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे —

(क) ऐसा व्यक्ति जो अनियत नियोजन में है ;

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसे एक महीने से कम की सूचना पर सेवा से उन्मुक्त किया जा सकता है ,

(ग) ऐसा व्यक्ति जिसकी बाबत् इन विनियमों में आने वाली बातों के संबन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन विशेष उपबन्धों के अधीन आने वाली बातों के सम्बन्ध में ऐसा विशेष उपबन्ध किया गया है ।

(2) उप विनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष, आदेश द्वारा और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से जहां तक कि इसका सम्बन्ध अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी से है, किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग को, इन सभी विनियमों में से सभी या किसी विनियम के प्रवर्तन से अपवर्जित कर सकेगी ।

(3) यदि ऐसा संदेह उत्पन्न होता है कि क्या ये विधियां या उनमें से कोई किसी व्यक्ति को लागू होती है, तो मामला केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जो इसका विनिश्चय करेगी ।

भाग 2—वर्गीकरण

4. पदों का वर्गीकरण ,—इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड के अधीन सभी पदों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाएगा—

(क) वर्ग I पद, अर्थात्, वे पद जिनका वेतन या वेतनमान ऐसा है जिसका अधिकतम 1100 रु० या अधिक हो ;

(ख) वर्ग 2 पद, अर्थात्, वे पद जिनका वेतन या वेतनमान ऐसा है जिसका अधिकतम 650 रु० से अधिक है किन्तु 1100 रु० से कम है ;

(ग) वर्ग 3 पद, अर्थात्, वे पद जिनका वेतन या वेतनमान ऐसा है जिसका अधिकतम 160 रु० से अधिक है किन्तु 650 रु० से कम है ;

(घ) वर्ग 4 पद, अर्थात्, वे पद जिनका वेतन या वेतनमान ऐसा है जिसका अधिकतम 160 रु० या उससे कम है ।

भाग 3—नियुक्ति प्राधिकारी

5 नियुक्ति प्राधिकारी—(1) वर्ग 1 पदों पर (उन पदों से भिन्न जो अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) में नहीं आते हैं) सभी नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी।

(2) (क) वर्ग 2 पदों और

(ख) ऐसे वर्ग 3 पदों पर जिनका वेतन या वेतनमान ऐसा है जिसका अधिकतम 475 रु० से अधिक हो, सभी नियुक्तियां उपाध्यक्ष द्वारा की जाएंगी ।

(3) किसी विभाग में ऐसे वर्ग 3 पदों पर, जो उप विनियम (2) के खंड (ख) में नहीं आते हैं, सभी नियुक्तियां उस विभाग के अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी ।

(4) किसी विभाग के वर्ग 4 पदों पर सभी नियुक्तियां उस विभाग के अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी ।

6. अपने अधीनस्थ अन्य प्राधिकारी की शक्तियों का पालन करने के लिए किसी प्राधिकारी की शक्ति—विनियम 5 द्वारा विहित किसी प्राधिकारी द्वारा पदों पर नियुक्तियां करने के लिए जो शक्तियां प्रयोग की जाती हैं, उनका प्रयोग उस प्राधिकारी से उच्चतर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा ।

भाग 4—निलम्बन

7 निलम्बन —(1) किसी कर्मचारी का निलम्बनाधीन रखा जा सकेगा —

(क) जहां कि अध्यक्ष की राय में वह ऐसे क्रियाकलाप में लगा हुआ है राज्य की सुरक्षा के हित में जो प्रतिकूल प्रभाव डालता है ; या

(ख) जहां कि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात है या लम्बित है, या

(ग) जहां कि उसके विरुद्ध किसी दाण्डिक अपराध की बाबत कोई मामला अन्वेषण या जांच के अधीन है ।

(2) निलम्बन का आदेश—

(क) अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कर्मचारी की दशा में, अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा , और

(ख) किसी अन्य कर्मचारी की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा :

परन्तु धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी के संबन्ध में ऐसे किसी आदेश का प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक उसका अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा न किया जाए।

(3) किसी कर्मचारी का, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से अध्यक्ष के आदेश द्वारा निम्नलिखित तारीख से निलम्बनाधीन रखा गया समझा जाएगा—

(क) उसके निरोध की तारीख से, यदि उसे 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए किसी आपराधिक आरोप पर या अन्यथा अभिरक्षण में निरुद्ध किया गया है ,

(ख) उसके दोषसिद्धि की तारीख से, यदि किसी अपराध की बाबत् दोषसिद्धि की दशा में उसे 48 घंटे से अधिक का कारावास के लिए दण्डादिष्ट किया गया है तथा ऐसी दोषसिद्धि के फलस्वरूप उसे तुरन्त पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं गया है या अनिवार्यतः सेवा नहीं किया गया है ।

स्पष्टीकरण :—खंड (ख) में निर्दिष्ट 48 घंटों की संगणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास में प्रारम्भ की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की आन्तरायिक अवधि, यदि कोई हो, को गणना में लिया जाएगा ।

(4) जहां निलम्बनाधीन किसी कर्मचारी पर अधिरोपित सेवा से पदच्युति, हटाया जाने या अन्यथा सेवा निवृत्ति की शास्ति, इन विनियमों के अधीन अपील या पुनर्विलोकन में अपास्त की जाती है और मामला पुरन्त जांच या कार्यवाई के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ वापस किया जाता है, तो निलम्बन के आदेश की बाबत यह समझा जाएगा कि वह पदच्युति, हटाया जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से निरन्तर प्रवृत्त है और वह आगे आदेश होने तक प्रवृत्त रहेगा।

(5) जहां किसी कर्मचारी पर अधिरोपित सेवा निवृत्ति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति किसी विधि न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणामस्वरूप या द्वारा अपास्त की जाती है या शून्य घोषित कर दी जाती है और मामले की परिस्थितियों पर विचार करके अनुशासनिक प्राधिकारी उसके विरुद्ध उन अभिकथनों के आधार पर जिनके कारण पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी, अतिरिक्त जांच करने का विनिश्चय करता है, वहां कर्मचारी की बाबत यह समझा जाएगा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से निलम्बनाधीन रखा गया है और वह तब तक निरन्तर निलम्बनाधीन रहेगा जब तक कि आगे आदेश नहीं किया जाता है ।

(6)(क) इस विनियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया कोई आदेश तब तक निरन्तर प्रवृत्त रहेगा जब तक ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित या प्रतिसंहृत नहीं किया जाता ,

(ख) जहां किसी कर्मचारी को निलम्बित किया जाता है (चाहे वह किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबन्ध में हो या अन्य था) और इस निलम्बन के जारी रहने के दौरान उसके विरुद्ध अन्य अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की जाती है, तो वह प्राधिकारी जो उसे निलम्बनाधीन रखने के लिए सक्षम है, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके यह निदेश दे सकेगा कि कर्मचारी तब तक निलम्बनाधीन बना रहेगा जब तक सभी या कोई कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती हैं।

(7) इस विनियम के अधीन किया गया या किए गया समझा गया निलम्बन का आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक उस प्राधिकारी द्वारा जिसने आदेश किया है या जिसकी बाबत समझा जाता है कि उसने आदेश किया है या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसका वह प्राधिकारी अधीनस्थ है, किसी भी समय उपान्तरित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता।

भाग 5—शास्तियां और अनुशासनिक प्राधिकारी

8. शास्तियां.—किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां अच्छे और पर्याप्त कारणों के आधार पर और इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रूप से अधिरोपित की जा सकेंगी, अर्थात्:—

छोटी शास्तियां : (1) परिनिन्दा ;

(2) उसकी प्रोन्नति का रोका जाना —

(3) उपेक्षा या आदेशों के भंग से उसके द्वारा बोर्ड को की गई धन संबन्धी कोई सम्पूर्ण हानि या उसका कोई भाग उसके वेतन से वसूल करना ;

(4) वेतन वृद्धियों का रोका जाना ।

बड़ी शास्तियां : (5) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी काल वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर इस अतिरिक्त निदेशों के साथ ऐसी अवनति के दौरान कर्मचारी वेतन वृद्धियां उपार्जित करेगा या नहीं और ऐसी अवधि की समाप्ति पर, अवनति का प्रभाव उसके वेतन की भावी वृद्धियों को मुल्तवी करने के लिए होगा या नहीं ;

(6) निम्नतर काल वेतनमान, श्रेणी या पद पर ऐसी अवनति जो मामूली तौर पर कर्मचारी के उस वेतनमान श्रेणी या पद पर जिससे वह अवनत किया गया था, प्रोन्नति के लिए वर्जन होगी और जो उस काल वेतनमान, श्रेणी या पद पर जिस पर सरकारी सेवक अवनत किया गया था, पुनःस्थापन की शर्तों की बाबत, और उस काल वेतनमान, श्रेणी या पद पर ऐसे पुनःस्थापन, उसकी ज्येष्ठता और वेतन की बाबत अतिरिक्त निदेशों सहित या रहित होगी ।

(7) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;

(8) सेवा से हटाया जाना जो बोर्ड के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हित नहीं होगी ;

(9) सेवा से पदच्युत जो बोर्ड के अधीन भावी नियोजन के लिए मामूली तौर पर निरर्हता होगी ।

स्पष्टीकरण :—इस विनियम के अर्थ के अन्तर्गत निम्नलिखित शास्ति नहीं समझी जाएगी ।

(i) किसी कर्मचारी की वेतन वृद्धियों का, उस पद को जिसमें वह धारित किए हुआ है या उसकी नियुक्ति के निबन्धों को शासित करने वाले विनियमों या आदेशों के अनुसार इसलिए रोका जाना कि वह विभागीय परीक्षण उत्तीर्ण करने में असफल रहा है ;

(ii) कर्मचारी को काल वेतनमान में दक्षता रोध पर इस आधार पर रोक लेना कि वह दक्षता से आगे जाने के लिए अयोग्य है ;

(iii) कर्मचारी की उस श्रेणी या पद पर जिस पर प्रोन्नति के लिए वह पात्र है, चाहे अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में, उसके मामले में विचार करके प्रोन्नति न करना ,

(iv) ऐसे कर्मचारी का जो उच्चतर श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है, निम्नतर श्रेणी या पद पर इस आधार पर कि विचारण के पश्चात उसे ऐसी उच्च श्रेणी या पद के लिए यथोचित नहीं समझा जाता है या ऐसे या ऐसे प्रशासनिक आधार पर जो उसके आचरण से सम्बद्ध नहीं है, प्रतिवर्तन,

(v) ऐसे सरकारी सेवक का जो किसी अन्य श्रेणी या पद में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है, परिवीक्षा की अवधि के दौरान या अन्त में उसकी नियुक्ति के निबन्धनों या विनियमों और आदेशों के अनुसार प्रतिवर्तन;

(vi) ऐसे कर्मचारी की सेवाएं जिसकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार से या राज्य सरकार से या केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी प्राधिकारी से उधार ली गई थीं, पुनः उस प्राधिकारी के व्ययनाधीन कर देना जिससे उसकी सेवाएं उधार ली गई थीं ;

(vii) किसी कर्मचारी की उन निबन्धनों के अनुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति जो उसकी अधिवर्षिता या निवृत्ति के सम्बन्ध में हों;

(viii) (क) ऐसे कर्मचारी की जो परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों के या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले विनियमों और आदेशों के अनुसार उसकी परिवीक्षा के दौरान या अन्त में, या

(ख) ऐसे कर्मचारियों की जिसे किसी करार के निबन्धनों के अनुसार उस करार के अधीन नियोजित किया गया हो;

(ग) ऐसे किसी अस्थायी कर्मचारी की, ऐसे कर्मचारियों को शासित करने वाले आदेशों के अनुसार सेवा की समाप्ति ।

9. भर्ती से पूर्व किए गए अत्याचार के लिए शास्ति.—किसी कर्मचारी पर जिसे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है, उसके नियोजन के पूर्व किए गए अत्याचार की बाबत, अच्छे और पर्याप्त कारणों के आधार पर जैसा कि इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है, विनियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी, यदि अत्याचार की प्रकृति ऐसी है जिसका उसके वर्तमान नियोजन से तर्कसंगत सम्बन्ध हो तथा जो उसे सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य या अनुपयुक्त बनाती है ।

10. अनुशासनिक प्राधिकारी .— अनुसूची में वर्णित प्राधिकारी, कर्मचारियों पर ऐसी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम होंगे जो उक्त अनुसूची में उपदर्शित है ।

11. कार्यवाही संस्थित करने का प्राधिकार .— (1) अध्यक्ष—

(क) किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित कर सकेगा,

(ख) किसी अनुशासनिक प्राधिकारी को ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित करने का निदेश दे सकेगा जिसकी बाबत वह अनुशासनिक प्राधिकारी इन विनियमों के अधीन विनियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है ।

(2) विनियम 8 के खण्ड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति इन विनियमों के अधीन अधिरोपित करने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी किसी कर्मचारी के विरुद्ध, विनियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति इस बात के होते हुए भी अधिरोपित कर सकेगा कि ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी इन विनियमों के अधीन उत्तरवर्ती शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है ।

भाग 6—शास्तियां अधिरोपित करने के लिये प्रक्रिया

12. बड़ी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया — (1) विनियम 8 के खण्ड (v) से लेकर (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश ऐसी जांच के पश्चात के सिवाय नहीं किया जाएगा जो यथास्थिति इस विनियम और विनियम 13 में उपबंधित रीति में की गई हो ।

(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी कर्मकारी के विरुद्ध अत्याचार या कदाचार के किसी लांछन की सच्चाई की जांच करने के लिए आधार है, तब उसकी सच्चाई की जांच वह स्वयं कर सकेगा या ऐसा करने के लिए एक प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण — जहां कि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है वहां इस विनियम में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है ।

(3) जहां इस विनियम और विनियम 13 के अधीन किसी कर्मचारी के विरुद्ध जांच करने की प्रस्थापना की जाती है, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी—

(i) अत्याचार या कदाचार के लांछनों की सार को निश्चित और सुभिन्न अनुच्छेदों में; और

(ii) आरोप के हर एक अनुच्छेद के समर्थन में अत्याचार या कदाचार के लांछनों का विवरण, जिसमें—,

(क) सभी सुसगत तथ्यों का जिनके अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा की गई कोई स्वीकृति या संस्वीकृति भी है, कथन ; और

(ख) उन दस्तावेजों की एक सूची जिनके द्वारा और उन साक्ष्यों की एक सूची जिनके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों को समर्थित करना प्रस्थापित है,

अन्तर्विष्ट होगे

विनिश्चित करेगा या करवाएगा।

टिप्पण :—यदि कर्मचारी उप विनियम (3) में निर्दिष्ट सूची में वर्णित साक्षियों के कथन की प्रतियां देने के लिए मौखिक रूप से या लिखित रूप से आवेदन करता है, तो जांच प्राधिकारी उसे यथासम्भव शीघ्र और किसी भी दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों की परीक्षा के प्रारम्भ होने से तीन दिन पूर्व तक ऐसी प्रतियां देगा।

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी, कर्मचारी को, आरोप के अनुच्छेदों की एक प्रति, अथवार या कदाचार के लांछनों का विवरण और उन दस्तावेजों और साक्ष्यों की अनुसूची जिनके द्वारा प्रत्येक अनुच्छेद को समर्थित करने की प्रस्थापना है, परिदत्त करेगा या करवाएगा और कर्मचारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, अपनी प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन दे और यह बताए कि क्या वह चाहता है कि व्यक्तिगत रूप से उसकी सुनवाई की जाए।

(5)(क) प्रतिरक्षा को लिखित कथन की प्राप्ति पर, अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों की जो स्वीकार नहीं किए जाते है, स्वयं जांच कर सकेगा या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो उप विनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा और जहां प्रतिरक्षा के लिखित कथन में कर्मचारी द्वारा आरोप के सभी अनुच्छेद स्वीकार कर लिए गए है, वहां प्रशासनिक प्राधिकारी ऐसे साक्ष्य लेने के पश्चात् जैसा वह ठीक समझे, प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और विनियम 13 में अधिकथित रीति से कार्य करेगा।

(ख) यदि कर्मचारी द्वारा प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन नहीं किया जाता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के अनुच्छेदों की स्वयं जांच कर सकेगा या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह उप विनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(ग) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के किसी अनुच्छेद की जांच स्वयं करता है या ऐसे आरोप की जांच करने के लिए किसी जांच प्राधिकारी को नियुक्त करता है, वहां वह आरोप के अनुच्छेदों के समर्थन में अपनी ओर से मामले को उपस्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगा, जो उपस्थापक अधिकारी के नाम से ज्ञात होगा।

(6) अनुशासनिक प्राधिकारी, जहां कि वह जांच प्राधिकारी न हो, जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा —

(क) आरोप के अनुच्छेदों की एक प्रति और अथवार या कदाचारों के लांछनों का विवरण ,

(ख) कर्मचारी द्वारा ली गई प्रतिरक्षा, यदि कोई हो, के लिखित कथन की एक प्रति,

(ग) उप विनियम (3) में विनिर्दिष्ट साक्षियों यदि कोई हों, के कथनों की एक प्रति;

(घ) कर्मचारी को, उप विनियम (3) मे विनिर्दिष्ट दस्तावेजो का परिदान साबित करने वाला साक्ष्य, और

(ङ) उक्त उपस्थापक अधिकारी नियुक्त करने वाले आदेश की एक प्रति।

(7) कर्मचारी, अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष ऐसे दिन और समय पर जो उक्त प्राधिकारी लिखित सूचना मे इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो उक्त प्राधिकारी अनुज्ञात करे, स्वय उपस्थित होगा।

(8) कर्मचारी अपनी ओर से मामला उपस्थापित करने के लिए किसी अन्य कर्मचारी की सहायता ले सकेगा या यदि कर्मचारी वर्ग 3 या वर्ग 4 कर्मचारी हो तो वह व्यवसायसंघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) की धारा 2 के खण्ड (घ) मे यथा-परिभाषित उस संघ के, जिसका वह सदस्य है, किसी पदधारी की सहायता ले सकेगा, किन्तु इस प्रयोजन के लिए वह तब तक किसी विधि व्यवसायी का नियुक्त नहीं कर सकेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापक अधिकारी विधि व्यवसायी नहीं या अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों का ध्यान मे रखते हुए ऐसी अनुज्ञा न दे ।

(9) यदि वह कर्मचारी जिसने अपनी प्रतिरक्षा के लिखित कथन में आरोप के किसी अनुच्छेद को स्वीकार नहीं किया है या प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन नहीं दिया है, जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है, तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या कोई प्रतिरक्षा करना चाहता है और यदि आरोप के अनुच्छेद मे से किसी का वह दोषी होने का अभिवचन करता है तो जांच प्राधिकारी उस अभिवचन को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर उक्त कर्मचारी के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा ।

(10) जांच प्राधिकारी, आरोप के उक्त अनुच्छेद के बारे मे जिनका दोषी होने का कर्मचारी अभिवचन करता है, दोषी होने का निष्कर्ष देगा।

(11) जांच प्राधिकारी, यदि कर्मचारी विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने मे असफल रहता है या अभिवचन करने से इन्कार करता है या ऐसा करने का लोप करता है, उपस्थापक अधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह साक्ष्य पेश करे जिससे वह आरोप के अनुच्छेद को साबित करने का प्रस्थापना करता है और मामले को यह आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् तीस दिन से अनधिक पश्चात्वर्ती तारीख के लिए स्थगित करेगा कि कर्मचारी प्रतिरक्षा तैयार करने के प्रयोजन के लिए—

(1) आदेश के पांच दिन के भीतर या पांच दिन से अनधिक समय के भीतर जो जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, उप विनियम (3) में विनिर्दिष्ट सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजो का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) उन साक्षियों को, जिनकी परीक्षा उसकी है, एक सूची देगा।

(3) आदेश के दस दिन के भीतर या अतिरिक्त समय के भीतर जो बोर्ड ऐसे दस्तावेजो के जो बोर्ड (3) में निर्दिष्ट सूची पेश करने के लिए सूचना

टिप्पण :— कर्मचारी उन दस्तावे बोर्ड द्वारा प्रकटीकरण या पेश

(12) जांच प्राधिकारी, दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश करने के लिए सूचना की प्राप्ति पर वह सूचना या उसकी प्रतियां, दस्तावेजों को उस तारीख तक पेश करने की अध्यपेक्षा के साथ, जो कि ऐसी अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट की जाए, उस प्राधिकारी को जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे गए हैं, भेजेगा :

परन्तु जांच प्राधिकारी, ऐसे दस्तावेजों की जो उसकी राय में मामले सुसंगत नहीं है उन कारणों के आधार पर जो अभिलिखित किए जाएंगे अध्यपेक्षा करने से इन्कार कर सकेगा।

(13) उप विनियम (12) में निर्दिष्ट अध्यादेश की प्राप्ति पर प्रत्येक प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यपेक्षित दस्तावेज हों उन्हें जांच प्राधिकारी के सामने पेश करेगा :

परन्तु यदि उस प्राधिकारी का, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यपेक्षित दस्तावेज हों और उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाए यह समाधान हो गया है कि सभी या किन्हीं दस्तावेजों का पेश किया जाना पत्तन के हित या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध है, तो वह जांच प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और जांच प्राधिकारी ऐसी सूचना मिलने पर कर्मचारी को संसूचित करेगा और उस अध्यपेक्षा को वापस ले लेगा जो उसने ऐसे दस्तावेजों के पेश करने या प्रकटीकरण के लिए की है।

(14) (क) जांच के लिए नियत तारीख को प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऐसा मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य जिसके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों को साबित किया जाना प्रस्थापित है, पेश किया जाएगा।

(ख) साक्षियों की परीक्षा उक्त उपस्थापक अधिकारी द्वारा या उस की ओर से की जाएगी और कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से उनकी प्रतिपरीक्षा की जाएगी

(ग) उक्त उपस्थापक अधिकारी, ऐसी किन्हीं बातों पर जिस पर उनका प्रतिपरीक्षा की गई है, उनकी पुन: परीक्षा करने का हकदार होगा, किन्तु वह जांच प्राधिकारी की आज्ञा के बिना किसी नई बात पर पुन: परीक्षा करने का हकदार नहीं होगा।

(घ) जांच प्राधिकारी साक्षियों से ऐसे प्रश्न भी पूछ सके जो वह ठीक समझे।

(15) (क) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले को बन्द किए जाने से पूर्व आवश्यक प्रतीत हो तो, जांच प्राधिकारी उक्त उपस्थापक अधिकारी को ऐसे साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा स्वविवेकानुसार दे सकेगा जो कर्मचारी को दी गई सूची में सम्मिलित नहीं है या नया साक्ष्य स्वयं तलब कर सकेगा, किसी साक्षी को पुनः बुला सकेगा या उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में कर्मचारी अतिरिक्त साक्ष्य की सूची की एक प्रति यदि वह उसकी मांग करे, पाने और जांच का ऐसा स्थगन जो जांच प्राधिकारी युक्तियुक्त समझे, कराने का हकदार होगा।

जांच प्राधिकारी कर्मचारी को ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण नको अभिलेख में लाने से पूर्व देगा।

कर्मचारी को नया साक्ष्य पेश करने के लिए सकी यह राय हो कि न्याय के हित में ा आवश्यक है।

े पूरा करने के लिए नया साक्ष्य अनुज्ञात । कोई साक्षी ही पुनः बुलाया जाएगा। किया जा सकेगा जिसमें कि उस साक्ष्य अन्तर्निहित कमी या त्रुटि हो।

धिकारी की ओर से मामला बन्द पेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा मौखिक या लिखित रूप में जैसे कि वह उचित समझे कथित करे।

(ख) यदि प्रतिरक्षा मौखिक रूप से की जाती है, तो उसे अभिलिखित किया जाएगा और कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अभिलेख पर हस्ताक्षर करे; किसी भी दशा में, प्रतिरक्षा के कथन की एक प्रति उक्त उपस्थापक अधिकारी को, यदि कोई हो, नियुक्त किया गया हो, दी जाएगी।

(17) (क) तत्पश्चात् कर्मचारी की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा।

(ख) कर्मचारी, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, अपनी ओर से स्वयं अपनी परीक्षा कर सकेगा। तत्पश्चात् कर्मचारी द्वारा पेश किए गए साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और वे जांच प्राधिकारी द्वारा प्रति-परीक्षा, पुनः परीक्षा और परीक्षा के दायित्वाधीन उन उपबन्धों के अनुसार होंगे जो अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर के साक्षियों को लागू हैं।

(18) जांच प्राधिकारी, कर्मचारी द्वारा अपना मामला बन्द करने के पश्चात्, इस प्रयोजन के लिए कि कर्मचारी अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देने में समर्थ हो सके, साक्ष्य में कर्मचारी के विरुद्ध प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में उस से साधारणतया प्रश्न कर सकेगा और यदि सरकारी सेवक ने स्वयं अपनी परीक्षा नहीं की है तो ऐसा करेगा ही।

(19) जांच प्राधिकारी साक्ष्य का पेश किया जाना पूरा हो जाने के पश्चात्, उपस्थापक अधिकारी को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, और कर्मचारी को सुन सकेगा या यदि वे ऐसा चाहे, तो उन्हें अपने-अपने मामलों के लिखित संक्षेप फाईल करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(20) यदि वह कर्मचारी, जिसे आरोप के अनुच्छेदों की प्रति परिदत्त की गई है, उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व प्रतिरक्षा का लिखित कथन नहीं प्रस्तुत करता है या जांच प्राधिकारी के सामने स्वयं उपस्थित नहीं होता है या इस विनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने में अन्यथा असफल रहता है या अनुपालन करने से इंकार करता है, तो जांच प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकेगा।

(21) (क) जहां कि उस अनुशासनिक प्राधिकारी ने, जो विनियम 8 के खण्ड (I) से (IV) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम है किन्तु विनियम 8 के खण्ड (V) से (IX) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है, किसी आरोप के अनुच्छेदों की जांच स्वयं की हो या कराई हो और उस प्राधिकारी की, स्वयं अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए या किसी जांच प्राधिकारी के, जिसे उसने नियुक्त किया हो, निष्कर्षों में से किसी पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए, यह राय हो कि विनियम 8 के खण्ड (V) से (IX) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह प्राधिकारी जांच का अभिलेख ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा जो अंतिम वर्णित शास्तियां अधि-रोपित करने के लिए सक्षम हो।

(ख) वह अनुशासनिक प्राधिकारी, जिसका अभिलेख इस प्रकार भेजे गए हों, अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकेगा या यदि उसकी यह राय हो कि साक्षियों में से किसी साक्षी की अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक न है, तो वह उसे साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उस साक्षी की परीक्षा, प्रति-परीक्षा और पुनःपरीक्षा कर सकेगा और कर्म-चारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो वह इन विनियमों के अनुसार ठीक समझे।

(22) जब कभी कोई जांच प्राधिकारी किसी जांच में साक्ष्य का पूर्णतः या भागतः सुनने और अभिलिखित करने के पश्चात् उसमें

अधिकारिता प्रयोग करने से परिविरत हो जाता है और कोई अन्य जांच प्राधिकारी जिसे ऐसी अधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है, उसका उत्तरवर्ती होता है, तो ऐसा उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा ऐसे अभिलिखित या अपने पूर्ववर्ती द्वारा भागत अभिलिखित और भागत अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकेगा ;

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसे साक्षियों में से किसी की, जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह ऐसे किन्हीं भी साक्षियों को पुनः बुला सकेगा, उनकी परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुन.परीक्षा इसमें इसके पूर्व उपबन्धित रीति में कर सकेगा।

(23) (i) जांच की समाप्ति के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जायेगी और इसमें निम्नलिखित बातें होंगी --

(क) आरोप के अनुच्छेद तथा अवचार और कदाचार के लांछनों का विवरण,

(ख) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत कर्मचारी की प्रतिरक्षा,

(ग) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत साक्ष्य का मूल्यांकन,

(घ) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर निष्कर्ष और उसके लिए कारण।

स्पष्टीकरण.---यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाही के आरोप का ऐसा कोई अनुच्छेद साबित होता है जो आरोप के मूल अनुच्छेदों से भिन्न है, तो वह आरोप के ऐसे अनुच्छेद पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा .

परन्तु आरोप के प्रत्येक ऐसे अनुच्छेद पर निष्कर्ष तब तक नहीं अभिलिखित किए जाएंगे जब तक कि कर्मचारी ने उन तथ्यों का जिन पर आरोप का ऐसा अनुच्छेद आधारित है या तो स्वीकार नहीं कर लिया है या उसको आरोप के ऐसे अनुच्छेद के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं मिल चुका हो।

(ii) जांच प्राधिकारी, जहां कि वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, अनुशासनिक प्राधिकारी को, जांच के ऐसे अभिलेख भेजेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे---

(क) वह रिपोर्ट जो उसके द्वारा खण्ड (i) के अधीन तैयार की गई हो;

(ख) प्रतिरक्षा का, यदि कोई हो, लिखित कथन जो सरकारी सेवक ने प्रस्तुत किया हो;

(ग) जांच के दौरान पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य,

(घ) जांच के दौरान उपस्थापक अधिकारी या कर्मचारी या दोनों द्वारा फाईल किए गए लिखित संक्षेप, यदि कोई हों; और

(ङ) वे आदेश, यदि कोई हों, जो अनुशासनिक प्राधिकारी और जांच प्राधिकारी ने जांच की बाबत की है।

13. जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही :---(1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है, उन कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे मामले को अतिरिक्त जांच और रिपोर्ट के लिए जांच प्राधिकारी को प्रेषित कर सकेगा और जांच प्राधिकारी तदुपरि यथाशक्य विनियम 12 के उपबन्ध के अनुसार अतिरिक्त जांच करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह आरोप के किसी अनुच्छेद पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है, ऐसी असहमति के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करेगा और यदि वह साक्ष्य जो अभिलेख पर है उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है तो वह ऐसे आरोप पर स्वयं अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा।

(3) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप के सभी या किन्हीं अनुच्छेदों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि विनियम 8 के खण्ड (i) से (IV) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो विनियम 14 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश करेगा।

(4) (i) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप के सभी या किन्हीं अनुच्छेदों पर अपने निष्कर्षों का ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि विनियम 8 के खण्ड (V) से (IX) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह---

(क) अपने द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट और आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर अपने निष्कर्षों की एक प्रति या जहां जांच उसके द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी द्वारा की गई हो, वहां ऐसे प्राधिकारी की रिपोर्ट की और आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर उसके निष्कर्षों का विवरण की एक प्रति, जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से अपनी असहमति के, यदि कोई हो संक्षिप्त कारण सहित कर्मचारी को देगा।

(ख) कर्मचारी को एक सूचना देगा जिसमें वह शास्ति बतलाई जाएगी जिसको उस पर अधिरोपित करने की प्रस्थापना हो और जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह ऐसी अवधि के भीतर जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो अनुशासनिक प्राधिकारी अनुज्ञात करे, ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करें जैसे वह विनियम 12 के अधीन की गई जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर प्रस्थापित शास्ति की बाबत करना चाहे।

(ii) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेना आवश्यक हो, जांच का अभिलेख खंड (i) के अधीन दी गई सूचना की एक प्रति और ऐसी सूचना के उत्तर में किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, सहित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपनी सिफारिशों सहित आदेश करने के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे।

(iii) जहां केन्द्रीय सरकार से परामर्श लेना आवश्यक न हो वहां अनुशासनिक प्राधिकारी खंड (i) के अधीन दी गई सूचना के अनुसरण में किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार करेगा और यह अवधारित करेगा कि कौन सी शास्ति, यदि कोई हो, उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए और ऐसे आदेश करेगा जैसा वह ठीक समझे।

14. छोटी शास्ति अधिरोपित करने के लि[illegible] प्रक्रिया.---(1) विनियम 12 के उपविनियम (3) के उपबन्धों [illegible] न रहते हुए, विनियम 8 के खंड (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट ए[illegible] से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश---

(क) कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवा[illegible]न की प्रस्थापना की और अवचार या कदाचार के ल[illegible]जो जिन पर उस कार्यवाई के करने की प्रस्थापन हो, लिखि[illegible]चना कर्मचारी को देने और ऐसा अभ्यावेदन करने का जैस[illegible] उस प्रस्थापना के विरुद्ध करना चाहे, युक्तियुक्त अवसर[illegible] दे देंगे;

(ख) विनियम 12 के उप विनियम (3) से लेकर (23) में अधिकथित रीति में प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें अनुशासनिक

प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी जांच आवश्यक है, जांच करने;

(ग) खंड (क) के अधीन कर्मचारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, और खंड (ख) के अधीन की गई जांच, यदि कोई हो, के अभिलेख पर विचार करने, और

(घ) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष अभिलिखित करने,

के पश्चात् के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे मामलों मे कार्यवाहियों के अभिलेख मे निम्नलिखित भी होंगे :—

(क) कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रस्थापना की बाबत दी गई संसूचना की एक प्रति;

(ख) उसको परिदत्त अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति;

(ग) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो;

(घ) जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य;

(ङ) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष; और,

(च) मामले पर आदेश तथा उसके लिए कारण।

(3) उप विनियम (1) के खंड (ख) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के होते हुए भी, यदि किसी मामले मे, कर्मचारी द्वारा दिए गया अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् यह प्रस्थापित किया जाता है कि तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए वेतन वृद्धियां रोक दी जाएं या किसी अवधि के लिए संचयीप्रभाव से वेतनवृद्धियां रोक दी जाए या यदि वेतनवृद्धियां रोकने की शास्ति से कर्मचारी को देय पेंशन की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित करने वाला आदेश करने से पूर्व विनियम 12 के उप विनियम (3) से (23) में अधिकथित रीति से जांच निश्चितरूप में की जाएगी ।

15. आदेशों की संसूचना—अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश कर्मचारी को संसूचित किए जाएंगे और उसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई जांच, यदि कोई हो, की रिपोर्ट की एक प्रति और आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर उसके निष्कर्षों की एक प्रति भी दी जाएगी या जहां अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है, वहां जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति तथा अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों का विवरण और उसकी असहमति, यदि कोई हो, के लिए संक्षिप्त कारण तथा जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों सहित दी जाएंगी, यदि वे पहले ही उसे नहीं दिए गए हों ।

16. सामान्य कार्यवाहियां:—(1) जहां दो या अधिक कर्मचारी किसी
मामले में सम्पृक्त [illegible] ध्यक्ष या अन्य प्राधिकारी जो ऐसे सभी
कर्मचारियों पर ऐसा [illegible] ति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए
सक्षम हो, यह आदेश [illegible] कि उन सभी के विरुद्ध अनुशासनिक
कार्यवाही सामान्य कार [illegible] जा सकती है ।

टिप्पण.—यदि ऐसे कर्म [illegible] पर पदच्युति की शास्ति अधिरोपित
करने के लिए सक्षम प्राधिक [illegible] -भिन्न हैं तो सामान्य कार्यवाही में
अनुशासनिक कार्यवाही करने [illegible] गदेश ऐसे प्राधिकारियों मे से उच्च-
तम प्राधिकारी द्वारा अन्यों [illegible] से किया जाएगा ।

(2) अधिनियम की धार [illegible] उपधारा (i) और विनियम 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किए जाएंगे :—

(i) वह प्राधिकारी, जो ऐसी सामान्य कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा;

(ii) विनियम 8 में विनिर्दिष्ट वे शास्तियां, जिन्हें अधिरोपित करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी सक्षम होगा; और

(iii) क्या विनियम 12 और 13 या विनियम 14 या विनियम 19 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण उस कार्यवाही में किया जाएगा या नहीं।

17. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया :—विनियम 12 से लेकर विनियम 16 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी —

(i) जहां किसी कर्मचारी पर ऐसे आचरण के आधार पर कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है जिसके कारण उसकी किसी आपराधिक आरोप पर दोषसिद्ध हुई है; या

(ii) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का यह समाधान उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे हो गया है कि इन विनियमों में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है, या

(iii) जहां अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि पत्तन की सुरक्षा के हित में यह समीचीन नहीं है कि ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उस पर ऐसे आदेश कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे :

परन्तु अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (i) के खंड (क) में आने वाले कर्मचारी के संबंध में ऐसे आदेश करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा ।

18. केन्द्रीय सरकार आदि को उधार दिए गए कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध :—(1) जहां कि कर्मचारी की सेवाएं, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी (जिसे इस विनियम में इसके पश्चात् "उधार लेने वाला प्राधिकारी" कहा गया है) को दी जाती है, वहां उधार लेने वाले प्राधिकारी को उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियां प्राप्त होंगी.

परन्तु उधार लेने वाला प्राधिकारी अध्यक्ष को तुरन्त उन परिस्थितियों के बारे में सूचना देगा जिनके कारण यथास्थिति, ऐसे कर्मचारी का निलम्बन आदेश या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हुई है ।

(2) किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही में निष्कर्षों को ध्यान मे रखते हुए —

(i) यदि उधार लेने वाला प्राधिकारी की यह राय हो कि विनियम 8 के खंड (i) से लेकर (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह अध्यक्ष से परामर्श करके मामले में ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे :

परन्तु उधार लेने वाला प्राधिकारी और अध्यक्ष के बीच मतभेद होने की दशा मे, कर्मचारी की सेवा पुनः बोर्ड के अधीन कर दी जाएगी;

(ii) यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की यह राय हो कि कर्मचारी को विनियम 8 के खंड (v) से लेकर (ix) मे विनिर्दिष्ट

शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उसकी सेवाएं बोर्ड के व्ययनाधीन कर देगी और जांच की कार्यवाहियां अध्यक्ष को पारेषित कर देगा और तदुपरि अध्यक्ष ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे :

परन्तु ऐसे आदेश करने से पूर्व अध्यक्ष विनियम 13 के उप विनियम (3) और (4) के उपबन्धों का अनुपालन करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे आदेश का, जहां तक कि उसका संबंध अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी से है, प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण :—अनुशासनिक प्राधिकारी, उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उसको पारेषित जांच के अभिलेख पर या यावत्शक्य विनियम 12 के अनुसार ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, इस खंड के अधीन आदेश कर सकेगा ।

19. केन्द्रीय सरकार आदि से उधार लिए गए कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध :—(1) जहां किसी कर्मचारी के विरुद्ध जिसकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी से उधार ली गई हैं, निलम्बन का आदेश किया जाता है या अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है, वहां उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी को (जिसे इन विनियमों में इसके पश्चात् "उधार देने वाला प्राधिकारी" कहा गया है) उन परिस्थितियों की सूचना जिनके कारण, यथास्थिति, निलम्बन का आदेश हुआ है या अनुशासनिक कार्यवाही का प्रारम्भ हुआ हो, तुरन्त दी जाएगी।

(2) कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए—

(1) यदि यह विनिश्चित किया जाता है कि विनियम 8 के खण्ड (i) से लेकर (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियों म से कोई शास्ति उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो अनुशासनिक प्राधिकारी, विनियम 13 के उप विनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श करके, ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे :

परन्तु उधार लेने वाले प्राधिकारी और उधार देने वाले प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की दशा में, कर्मचारी की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के पुनः व्ययनाधीन की जाएंगी।

(2) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि विनियम 8 के मद (v) से लेकर (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के पुनः व्ययनाधीन कर देगा और उसे जांच की कार्यवाही ऐसी कार्यवाहियों के लिए भेजेगा जैसी वह आवश्यक समझे।

भाग 7—अपील

20. आदेश जिनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती :—इस भाग में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी—

(1) कोई आदेश जो केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया हो;

(2) ऐसा आदेश जो अपील या पुनर्विलोकन में अध्यक्ष द्वारा किया गया हो;

(3) ऐसा आदेश जो विनियम 12 के अधीन जांच के दौरान जांच प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया हो;

(4) ऐसा आदेश, जो निलम्बन के आदेश से भिन्न अन्तर्वर्ती प्रकृति का हो या सहायक कदम की प्रकृति का हो या जो अनुशासनिक कार्यवाही का अन्तिम निपटारा करने वाला हो।

21. आदेश जिनके विरुद्ध अपील होगी :—विनियम 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई कर्मचारी निम्नलिखित सभी या किन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकेगा, अर्थात् :—

(1) निलम्बन का आदेश जिसे विनियम 7 के अधीन किया गया है या किया गया समझा गया है;

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया गया ऐसा आदेश जो विनियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करता है;

(3) ऐसा आदेश, जो—

(क) विनियमों द्वारा यथा-विनियमित उसके वेतन भत्तों, पेंशन या सेवा की अन्य शर्तों से उसे वंचित करता है या उसमें फेर-फार करता है, जो उसके लिए अहितकर है; या

(ख) ऐसे किन्हीं विनियमों के उपबन्धों का निर्वचन इस प्रकार करता है जो उसके लिए अहितकर है;

(4) ऐसा आदेश, जो—

(क) काल वेतनमान में वक्षता रोध पर उसे इस आधार पर रोक देता है कि वह रोध को पार करने के योग्य है;

(ख) उसे, जब कि वह उच्चतर श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा हो, निम्नतर श्रेणी या पद पर शास्ति से अन्यथा रूप में प्रतिवर्तित करता है;

(ग) उस पेंशन को कम करता है या रोकता है या उस अधिकतम पेंशन से उसे वंचित करता है जो विनियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय हो;

(घ) निलम्बन की अवधि के लिए या उस अवधि के लिए जिसके दौरान वह निलम्बनाधीन समझा जाता है या उसके किसी भाग के लिए उसको दिए जाने वाले जीवन निर्वाह और अन्य भतों को अवधारित करता है;

(ङ) (i) निलम्बन की अवधि के लिए, या

(ii) सेवा से उसकी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्त की तारीख से या निम्नतर श्रेणी, पद, काल वेतनमान या काल वेतनमान के क्रम पर उसकी अवनति की तारीख से उसकी श्रेणी या पद पर उसकी बहाली या पुनः स्थापन तक की तारीख की अवधि के लिए उसके वेतन और भत्ते अवधारित करता है।

(च) यह अवधारित करता है कि उसके निलम्बन की तारीख से या उसकी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति या निम्नतर श्रेणी पद या काल वेतनमान के क्रम पर उसकी अवनति की तारीख से उसकी श्रेणी या पद पर उसकी बहाली या पुन: स्थापन की तारीख तक की अवधि किसी भी प्रयोजन के लिए कर्त्तव्य पर व्यतीत की कोई अवधि के रूप में समझी जाएगी या नहीं।

स्पष्टीकरण:— इस विनियम में —(i) कर्मचारी पद के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी आता है जो बोर्ड की सेवा में नहीं रह गया है;

(ii) "पेंशन" पद के अन्तर्गत अतिरिक्त पेंशन, उपदान या कोई अन्य निवृत्ति, प्रसुविधाएं आती हैं।

22. अपील प्राधिकारी :—कोई कर्मचारी, जिसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी आता है, जो बोर्ड की सेवा में नहीं रह गया हो—

(1) निलम्बन के किसी आदेश के विरुद्ध उस प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जिसका वह प्राधिकारी ठीक अधीनस्थ हो, जिसके द्वारा आदेश किया गया था या किया गया समझा गया था।

(2) विनियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को कर सकेगा जो इस निमित्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

(3) विनियम 20 के खण्ड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को कर सकेगा जिसको पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है।

23. विशेष परिस्थितियों में अपील प्राधिकारी :—विनियम 22 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,

(1) सामान्य कार्यवाही के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को की जाएगी जिसका अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाले प्राधिकारी अव्यवहित अधीनस्थ है।

(2) जहां वह व्यक्ति, जिसने ऐसा आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, उसकी पश्चात्वर्ती नियुक्ति के कारण अध्यक्ष बन जाता है, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील केन्द्रीय सरकार को की जाएगी और केन्द्रीय सरकार को उस अपील के सम्बन्ध में इस विनियम के प्रयोजन के लिए अपील प्राधिकारी समझा जाएगा।

24. अपीलों के लिए परिसीमाकाल :—इस भाग के अधीन की गई कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक ऐसी अपील, उस तारीख से जिसको उस आदेश की एक प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपीलार्थी को परिदत्त की गई है, दो मास की अवधि के भीतर की जाती है :

परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त अवधि के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी के पास अपील समय पर न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

25. अपीलों का प्रारूप और अन्तर्वस्तुएं :—(1) अपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपील पृथकत: और स्वयं अपने नाम से करेगा।

(2) (क) अपील उस प्राधिकारी के सामने उपस्थापित जाएगी जिसकी अपील होती है और एक प्रति अपीलार्थी द्वारा या उस प्राधिकारी को भेजी जाएगी जिसने वह आदेश किया था जिसके विरुद्ध अपील की गई है;

(ख) अपील में वे सभी तात्विक कथन और तर्क होंगे जिस पर अपीलार्थी निर्भर करता है, उसमे कोई निरादरपूर्ण या अनुचित भाषा नहीं होगी और स्वत:पूर्ण होगी।

(3) वह प्राधिकारी, जिसने ऐसा आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपील की एक प्रति प्राप्ति पर, उसको उस पर अपनी टीका-टिप्पणी सहित और उसके साथ-साथ सुसंगत अभिलेख किसी परिहार्य विलम्ब के बिना और अपील प्राधिकारी से किसी निदेश के लिए प्रतीक्षा किए बिना अपील प्राधिकारी को भेजेगा।

26. अपील पर विचारण.—(1) निलम्बन के आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि क्या विनियम 7 के उपबन्धों को ध्यान मे रखते हुए और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निलम्बन का आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार आदेश को पुष्ट या प्रतिसंहृत कर सकेगा।

(2) विनियम 8 में विनिर्दिष्ट शास्ति में से किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध या उक्त विनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति को बढ़ाने वाले आदेश के विरुद्ध किसी अपील के मामले पर अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि,—

(क) क्या इन विनियमो में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और यदि नहीं, तो क्या ऐसे अननुपालन के परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता हुई है;

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष उस साक्ष्य द्वारा समर्थित है जो अभिलि पर है; और

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त या कठोर है; और

(1) शास्ति को पुष्ट, वर्द्धित, कम या अपासन करने वाला, या

(2) जिस प्राधिकारी ने शास्ति अधिरोपित या वर्द्धित किया है उसको या किसी अन्य प्राधिकारी को वह मामला ऐसे निदेशो के साथ जैसे वह मामले की परिस्थितियो मे ठीक समझे, प्रेषित करने वाला;

आदेश पारित करेगा :

परन्तु:—

(i) यदि वर्द्धित शास्ति जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित करने की प्रस्थापना करता है, विनियम 8 के खण्ड (v) से लेकर (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियो में से कोई शास्ति है और मामले में विनियम 12 के अधीन जांच पहले ही नहीं की गई है, तो अपील प्राधिकारी विनियम 17 के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, स्वयं ऐसी जांच करेगा या निदेश देगा कि विनियम 12 के उपबन्धो के अनुसार ऐसी जांच की जाए और तत्पश्चात् ऐसी जांच की कार्यवाहियो पर विचार करके और अपीलार्थी को यावतशक्य विनियम 13 के उप विनियम (4) के उपबन्धों के अनुसार, ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसे आदेश करेगा जैसे वह ठीक समझे;

(ii) यदि वर्द्धित शास्ति जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित करने की प्रस्थापना करता है, विनियम 8 के खण्ड (v) से लेकर (iv) मे विनिर्दिष्ट शास्तियो में से कोई शास्ति है और मामले मे विनियम 12 के अधीन जांच पहले ही की जा चुकी है, तो अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को यावतशक्य विनियम 13 के उप विनियम (4) के उपबन्धों के अनुसार ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश करेगा तो वह ठीक समझे ; और

(iii) किसी अन्य मामले में, वर्द्धित शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अपीलार्थी को यावतशक्य विनियम 12 के उपबन्धों के अनुसार ऐसी वर्द्धित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(3) विनियम 21 मे विनिर्दिष्ट किसी अन्य आदेश के विरुद्ध अपील में, अपील प्राधिकारी मामले की समस्त परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसे आदेश करेगा जो वह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण समझे ।

27. अपील में आदेशो का कार्यान्वयन—वह प्राधिकारी, जिसने ऐसा आदेश पारित किया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशो को प्रभावी करेगा ।

भाग 8—पुनर्विलोकन

28. पुनर्विलोकन :—(1) इन विनियमों मे अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(i) केन्द्रीय सरकार या

(ii) अध्यक्ष

स्वप्रेरणा पर या अन्यथा, किसी भी जांच के अभिलेख को किसी भी समय मंगा सकेगा और ऐसे किसी आदेश का जो इन विनियमों के अधीन या विनियम 31 द्वारा निरसित विनियमों या आदेशों या प्रथाओं के अधीन किया गया है और जिसके विरुद्ध अपील अनुज्ञात है किन्तु जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है या जिसके विरुद्ध कोई अपील अनुज्ञात नही है, पुनर्विलोकन, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, जहां ऐसा परामर्श आवश्यक हो, कर सकेगा और—

(क) आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या अपास्त कर सकेगा ; या

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को पुष्ट, कम, वर्द्धित या अपास्त कर सकेगा या जहां कोई शास्ति अधिरोपित नही की गई है वहां शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ; या

(ग) मामले को उस प्राधिकारी को जिसने वह आदेश किया था या किसी अन्य प्राधिकारी को इस निदेश के साथ प्रेषित कर सकेगा कि ऐसा प्राधिकारी ऐसी अतिरिक्त जांच करे जैसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे ; या

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित करे जैसे वह ठीक समझे :

परन्तु शास्ति अधिरोपित या वर्द्धित करने वाला कोई भी आदेश पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्पृक्त कर्मचारी को प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और जहां विनियम 8 के खण्ड (v) से लेकर (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने की या उस आदेश द्वारा जिसका पुनर्विलोकन चाहा गया हो, अधिरोपित शास्ति को उन खण्डों में विनिर्दिष्ट शास्ति में से किसी शास्ति में वर्द्धित करने की प्रस्थापना हो, वहां ऐसे किसी शास्ति का अधिरोपण विनियम 12 में अधिकथित रीति से जांच के पश्चात् के सिवाय और सम्पृक्त कर्मचारी को प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य पर हेतुक वर्णित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और जहां केन्द्रीय सरकार से परामर्श आवश्यक है, वहां ऐसा परामर्श करने के पश्चात् के सिवाय नही किया जाएगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष द्वारा पुनर्विलोकन की किसी शक्ति का प्रयोग तब तक नही किया जाएगा जब तक कि—

(i) वह प्राधिकारी जिसने अपील में आदेश किया है, या

(ii) जहां कोई अपील नही की गई हो वहां वह प्राधिकारी जिसको अपील की जाती, वह स्वयं न हो या उसका अधीनस्थ न हो ।

(2) पुनर्विलोकन की कार्यवाई का प्रारम्भ तब तक नही किया जाएगा

(i) जब तक कि अपील की परिसीमाकाल की समाप्ति नही हो जाती ; या

(ii) जहां कोई अपील की जाए, वहां जब तक कि अपील का निपटारा न हो गया हो ;

(3) पुनर्विलोकन के आवेदन का निपटारा इस प्रकार किया जाएगा मानो वह इन विनियमों के अधीन कोई अपील हो ।

भाग 9—प्रकीर्ण

29. आदेशो और सूचनाओं की तामील :—इन विनियमों के अधीन किया गया या निकाला गया प्रत्येक आदेश, सूचना और अन्य आदेशिका की तामील स्वयं सम्पृक्त कर्मचारी पर व्यक्तिगत रूप से की जाएगी या उसकी संसूचना रजिस्ट्री डाक द्वारा दी जाएगी ।

30. परिसीमा को शिथिल करने और विलम्ब को माफ करने की शक्ति :—इन विनियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन विनियमों के अधीन कोई आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अच्छे और पर्याप्त कारणों के आधार पर या यदि पर्याप्त हेतुक दर्शित करने पर, किसी ऐसी बात के लिए जिसका किया जाना इन विनियमों के अधीन अपेक्षित है इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकेगा या किसी विलम्ब को माफ कर सकेगा ।

31. निरसन :—इन विनियमों के प्रारम्भ पर, मुम्बई पत्तन न्यास नियम के नियम 23, 24, 25 और 28 और अननुसूचित कर्मचारीवृन्द के लिए विनियम और उनके परिशिष्ट-ड उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में, जो इन विनियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उक्त नियमों और अननुसूचित कर्मचारीवृन्द के लिए विनियमों द्वारा शासित होते थे और वे आदेश या प्रथाएं जो सभी अन्य कर्मचारियो के सम्बन्ध में इन विनियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, निरसित हो जाएंगे :

परन्तु—

(क) ऐसी अपील से उक्त नियमों और अननुसूचित कर्मचारीवृन्द के लिए विनियमों, उक्त आदेशों या प्रथाओं या उनके अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्यवाही के, पूर्वतन प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ख) उक्त नियमों, अननुसूचित कर्मचारीवृन्द के लिए विनियमों या उक्त आदेश या प्रथा जो इन विनियमों के प्रारम्भ पर लम्बित हों, के अधीन कोई कार्यवाही चालू रखी जाएगी और उनका

निपटारा यावत्शक्य इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

(2) ऐसे आदेश जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किया गया है, के विरुद्ध इन विनियमों के प्रारम्भ के पश्चात् लम्बित या की गई किसी अपील पर विचार किया जाएगा और उस पर आदेश इन विनियमों के अनुसार पारित किए जाएंगे ।

32. शंकाओं का निराकरण :—जहां इन विनियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के निर्वचन के बारे में कोई शंका उत्पन्न होती है, वहां मामला अध्यक्ष को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगा ।

अनुसूची

(विनियम 2, 10 और 22 देखिए)

क्रम संख्या	कर्मचारियों के प्रवर्ग	शास्तियां अधिरोपित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जिन्हें वह अधिरोपित कर सकेगा (विनियम 8 के खण्ड (i) से लेकर (ix) के संदर्भ में)		अपील प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्तियां	
1	वे कर्मचारी जो अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट पदों को धारण कर रहे हों	(i) अध्यक्ष	(i) वे शक्तियां जो विनियम 8 के खण्ड (i) से लेकर (iv) में विनिर्दिष्ट हैं ।	केन्द्रीय सरकार
		(ii) केन्द्रीय सरकार, के पूर्व अनुमोदन से अध्यक्ष	(ii) वे शास्तियां जो विनियम 8 के खण्ड (v) से लेकर (ix) में विनिर्दिष्ट हैं ।	
2	वे कर्मचारी जो क्रम संख्या 1 में आने वाले पदों से भिन्न वर्ग 1 पद धारण कर रहे हों ।	अध्यक्ष	सभी	केन्द्रीय सरकार
3.	वे कर्मचारी जो (i) वर्ग 2 पद धारण कर रहे हों और (ii) ऐसे वर्ग 3 पद धारण कर रहे हों जिनका अधिकतम 475 रु० से अधिक हो ।	उपाध्यक्ष	सभी	अध्यक्ष
4.	वे कर्मचारी जो क्रम संख्या 3 के पद (ii) के अन्तर्गत आने वाले पदों से भिन्न वर्ग 3 पद धारण कर रहे हों ।	किसी विभाग का अध्यक्ष	सभी	(i) उपाध्यक्ष, जहां उस आदेश द्वारा जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अधिरोपित शास्तियां ऐसी हों जो विनियम 8 खण्ड (i) से लेकर (iv) में विनिर्दिष्ट हों । (ii) अध्यक्ष, जहां कि ऐसे आदेश द्वारा जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अधिरोपित शास्तियां ऐसी हों और विनियम 8 के खण्ड (v) से लेकर (ix) में विनिर्दिष्ट हों ।
5.	वे कर्मचारी जो वर्ग 4 पद धारण कर रहे हों ।	किसी विभाग का अध्यक्ष	सभी	(i) उपाध्यक्ष, जहां कि ऐसे आदेश द्वारा जिस के विरुद्ध अपील की गई है, अधिरोपित शास्तियां ऐसी हैं जो विनियम 8 के खण्ड (i) से लेकर (iv) में विनिर्दिष्ट हों । (ii) अध्यक्ष, जहां कि ऐसे आदेश द्वारा जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अधिरोपित शास्तियां ऐसी हैं जो विनियम 8 के खण्ड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट हों ।

[फाईल सं० पी०ई०बी०(8)/75]

New Delhi, the 19th April, 1976

PORTS

G.S.R. 643.—In exercise of the powers conferred by section 126 read with clause (b) of sub-section (1) of section 24, clause (b) of sub-section (1) of section 25, clause (b) of sub-section (2) of section 25 and clauses (a) and (b) of section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby make the following first regulations, namely :—

PART I—GENERAL

1. Short title and commencement—(1) These regulations may be called the Bombay Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963);

(b) "appointing authority" in relation to an employee means the authority prescribed as such by these regulations;

(c) "Board", "Chairman", "Dy. Chairman" and "Head of a Department" have the same meanings as assigned to them respectively in the Act;

(d) "disciplinary authority" means the authority competent under these regulations to impose on an employee any of the penalties specified in regulation 8;

(e) "employee" means an employee of the Board and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of the Board and also any person in the service of the Central or a State Government or a local or other authority whose services are temporarily placed at the disposal of the Board;

(f) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations.

3. Application—(1) These regulations shall apply to every employee of the Board, but shall not apply to—

(a) any person in casual employment;

(b) any person subject to discharge from service on less than one month's notice;

(c) any person for whom special provision is made, in respect of matters covered by these regulations, by or under any law for the time being in force, in regard to matters covered by such provision.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Chairman may by order, and with the prior approval of the Central Government, so far as it concerns an employee, referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Act, exclude from the operation of all or any of these regulations, any employee or class of employees.

(3) If any doubt arises as to whether these regulations or any of them apply to any person, the matter shall be referred to the Central Government, who shall decide the same.

PART II—CLASSIFICATION

4. Classification of posts.—All posts under the Board shall for the purposes of these regulations be classified as follows:—

(a) Class I posts, that is to say, posts carrying a pay or a scale of pay, the maximum of which is Rs. 1100 or more;

(b) Class II posts, that is to say, posts carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is more than Rs. 650, but less than Rs. 1100;

(c) Class III posts, that is to say, posts carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is more than Rs. 160, but less than Rs. 650;

(d) Class IV posts, that is to say, posts carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is Rs. 160 or below.

PART III—APPOINTING AUTHORITIES

5. Appointing authorities.—(1) All appointments to Class I posts [other than the posts covered by clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Act] shall be made by the Chairman.

(2) All appointments to—

(a) Class II posts, and (b)

(b) Class III posts carrying a pay or scale of pay the maximum of which exceeds Rs. 475, shall be made by the Deputy Chairman.

(3) All appointments to Class III posts, not covered by clause (b) of sub-regulation (2), in a Department shall be made by the Head of that Department.

(4) All appointments to Class IV posts in a Department shall be made by the Head of that Department.

6. **Power of an authority to exercise power of another authority subordinate to it**—The powers to make appointments to posts exercisable by an authority prescribed by regulation 5 may also be exercised by another authority higher than that authority.

PART IV—SUSPENSION

7. Suspension.—(1) An employee may be placed under suspension—

(a) where, in the opinion of the Chairman, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State; or

(b) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or

(c) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation or trial.

(2) The order of suspension shall be made—

(a) in the case of an employee referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Act, by the Chairman; and

(b) in the case of any other employee, by the appointing authority :

Provided that no such order relating to an employee referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 24 shall have effect until it is approved by the Central Government.

(3) An employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the Chairman, with the approval of the Central Government, or of the appointing authority, as the case may be;

(a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding fortyeight hours;

(b) with effect from the date of his conviction if in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding fortyeight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

Explanation.—The period of forty-eight hours referred to in clause (b) shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent period imprisonment, if any, shall be taken into account.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee under suspension is set aside in appeal or on review under these regulations and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(5) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a Court of Law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further enquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.

(6) (a) An order of suspension made or demand to have been made under this regulation shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(b) Where an empolyee is suspended (whether in connection with any disciplinary proceedings or otherwise), and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded in writing, direct that the employee shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings.

(7) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority which made or which is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

PART V—PENALITIES AND DISCIPLINARY AUTHORITIES

8. Penalities.—The following penalities may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on an employee, namely :—

Minor penalties : (i) Censure;

(ii) withholding of his promotion;

(iii) recovering from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Board by negligence or breach of orders;

(iv) withholding of increments of pay

Major penalities : (v) reduction to a lower stage in a time-scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vi) reduction to a lower time-scale of pay, grade or post which shall ordinarily be a bar to the promotion of the employee to the time-scale of pay, grade or post from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the time-scale, grade or post from which the employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that time-scale, grade or post;

(vii) compulsory retirement;

(viii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Board;

(ix) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Board.

Explanation :—The following shall not amount to a penalty within the meaning of this regulation .

(i) withholding of increments of an employee for failure to pass a departmental examination in accordance with the regulations or orders governing the post which he holds or the terms of his appointment;

(ii) stoppage of an employee at the efficiency bar in the time-scale on the ground of his unfitness to cross the bar;

(iii) non-promotion whether in a substantive or officiating capacity of an employee after consideration of his case to a grade or post, for promotion to which he is eligible;

(iv) reversion to a lower grade or post of an employee officiating in a higher grade or post on the ground that he is considered, after trial, to be unsuitable for such higher grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;

(v) reversion to his permanent grade or post of an employee appointed on probation to another grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the regulations and orders governing probation;

(vi) replacement of the services of an employee whose services have been borrowed from the Central Government or a State Government or an authority under the control of the Central Government or a State Government at the disposal of the authority which lent his service;

(vii) compulsory retirement of an employee in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement;

(viii) termination of the services—

(a) of an employee appointed on probation during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the regulations and orders governing probation; or

(b) of an employee employed under an agreement in accordance with the terms of such agreement;

(c) of a temporary employee in accordance with the orders governing such employees.

9. Penalty for misconduct committed prior to recruitment.—The penalties specified in regulation 8 may, for good and sufficient reasons, as hereinafter provided, be imposed on an employee appointed through direct recruitment in respect of misconduct committed before his employment if the misconduct was of such a nature as has rational connection with his present employment and renders him unfit or unsuitable for continuing in service.

10. Disciplinary authorities.—The authorities mentioned in the Schedule shall be competent to impose penalties on the employees as indicated is the said Schedule.

11 Authority to institute proceedings.—(i) The Chairman may—

(a) institute disciplinary proceedings against any employee;

(b) direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against any employee on whom that disciplinary authority is competent to impose under these regulations any of the penalties specified in regulation 8.

(2) A disciplinary authority competent under these regulations to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 8 may institute disciplinary proceedings against eny employee for the imposition of any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8 notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under these regulations to impose any of the latter penalties.

PART VI—PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES

12. Procedure for imposing major penalties.—(1) No other imposing any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8 shall be made except after an enquiry held, as far as may be, in the manner provided in this regulation and regulation 13.

(2) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into he truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an employee, it may itself inquire, or appoint under this regulation an authority to inquire into the truth thereof.

Explanation.—Where the disciplinary authority itself holds the enquiry, any reference in this regulation to the inquiring authority shall be constructed as a reference to the disciplinary authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against an employee under this regulation and regulation 13, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up—

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge ;

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain :—

(a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the employee ;

(b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

Note :—If the employee applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in sub-regulation (3), the inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case not later than three days before the commencement of the examination of witnesses on behalf of the disciplinary authority.

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the employeee a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article is proposed to be sustained and shall require the employee to submit, within such time as it may specify, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5) (a) On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted, or, if it considers necessary so to do, appoint, under sub-regulation (2), an inquiring authority for the purpose, and when all the articles of charge have been admitted by the employee in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in regulation 13.

(b) If no written statement of defence is submitted by the employee, the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge or may, if it considers necessary so to do, appoint under sub-regulation (2), an inquiring authority for the purpose.

(c) Where the disciplinary authority itself inquires into any articles of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry into such charge, it may by order, appoint any person to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

(6) The disciplinary authority shall, when it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority —

(a) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour ;

(b) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the employee ;

(c) a copy of the statements of witnesses, if any, referred to in sub-regulation (3) ;

(d) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-regulation (3) to the employee; and

(e) a copy of the order appointing the said "Presenting Officer".

(7) The employee shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time as that authority may, by a notice in writing, specify in this behalf, or within such further time as that authority may allow.

(8) The employee may take the assistance of any other employee or, if the employee is a Class III or a Class IV employee, of an "office-bearer" as defined in clause (d) of section 2 of the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926), of the union to which he belongs, to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the said Presenting Officer appointed by the disciplinary authority, is a legal practitioner, or, the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits.

(9) If the employee who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence, or has not submitted any written statement of defence ,appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the employee thereon

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the employee pleads guilty.

(11) The inquiring authority shall, if the employee fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the said Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the employee may, for the purpose of preparing his defence—

(i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list referred to in sub-regulation (3);

(ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf ;

(iii) give a notice, within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow, for the discovery or production of any documents which are in the possession of the Board but not mentioned in the list referred to in sub-regulation (3).

Note.—The employee shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the Board.

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition :

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse to requisition such of the documents, as are in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in sub-regulation (12), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority.

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded in writing that the production of all or any of such documents would be against the Port's interest or the security of the State, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority, on being so informed, communicate the information to the employee and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.

(14) (a) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority.

(b) The witnesses shall be examined by or on behalf of the said Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the employee.

(c) The said Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the inquiring authority.

(d) The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(15) (a) It it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority the inquiring authority may, in its discretion, allow the said Presenting Officer to induce evidence not included in the list given to the employee or may itself call for new evidence of recall and re-examine any witness and in such a case, the employee shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to produced and such adjournment of the inquiry, as the inquiring authority may consider reasonable.

(b) The inquiring authority shall give the employee an opportunity of inspecting such documents before they are taken on record.

(c) The inquiring authority may also allow the employee to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interest of justice.

Note.—New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally.

(16) (a) When the case for the disciplinary authority is closed, the employee shall be required to state his defence, orally or in writing as he may prefer.

(b) If the defence is made orally, it shall be recorded and the employee shall be required to sign the record; in either case, a copy of the statement of defence shall be given to the said Presenting Officer, if any, appointed.

(17) (a) The evidence on behalf of the employee shall then be produced.

(b) The empolyee may examine himself in his own behalf, if he so prefers; the witnesses produced by the employee shall then be examined and shall also be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority, according to the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority.

(18) The inquiring authority may, after the employee closes his case, and shall, if the employee has not examined himself, generally question on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The inquiring authority may, after the completion of the production of the evidence, hear the said Presenting Officer, if any, appointed, and the employee, or permit them to file written briefs of their respective cases, if they so desire.

(20) If the employee to whom a copy of the articles of charge has been delivered does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this regulation, the inquiring authority may hold the inquiry ex-parte.

(21) (a) Where a disciplinary authority, competent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 8, but not competent to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8, has itself inquired into, or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it, is of the opinon that the penalities specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8, should be imposed, that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties.

(b) The disciplinary authority to which records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interest of justice, recall the witness and examine, cross-examine and re-examine the witnesses and may impose on the employee such penalty as it may deem fit in accordance with these regulations.

(22) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises, such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself :

Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

(23) (i) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain—

(a) articles of charge and the statement of imputations of misconduct or misbehaviour;

(b) the defence of the employee in respect of each article of charge;

(c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;

(d) the findings on each article of charge and the reasons therefor.

Explanation : If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of charge, it may record its findings on such article of :

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the employee has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include —

(a) the report prepared by it under clause (i);

(b) the written statement of defence, if any, submitted by the employee;

(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;

(d) the written briefs, if any, filed by the said Presenting Officer or the employee or both during the course of the inquiry; and

(e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.

13. Action on the inquiry report :—(1) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of regulation 12 as far as may be.

(2) The disciplinary authority shall, if it disagree with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on record is sufficient for the purpose.

(3) If the disciplinary authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 8 should be imposed on the employee it shall, notwithstanding anything contained in regulation 14 make an order imposing such penalty.

(4) (i) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the rentalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8 should be imposed on the employee, it shall—

(a) furnish to the employee a copy of the report of the inquiry held by it and its findings on each article of charge or where the inquiry has been held by an inquiring authority appointed by it, a copy of the report of such authority and a statement of its findings on each article of charge together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority;

(b) give the employee a notice stating the penalty proposed to be imposed on him and calling upon him to submit within such period as may be specified therein, or such further time as the disciplinary authority may allow, such representation as he may wish to make on the proposed penalty on the basis of the evidence advanced during the inquiry held under regulation 12.

(ii) In every case in which it is necessary to consult the Central Government, the record of the inquiry, together with a copy of the notice given under clause (i) and the representation made in response to such notice, if any, shall be forwarded by the disciplinary authority along with its recommendations to the Central Government for passing orders.

(iii) Where it is not necessary to consult the Central Government, the disciplinary authority shall consider the representation, if any, made by the employee in pursuance of the notice given to him under clause (i) and determine what penalty, if any, should be imposed on him and make such order as it may deem fit.

144. Procedure for imposing minor penalties.—(1) Subject to the provisions of sub-regulation (3) of regulation 12 no order imposing any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 8 shall be passed except after—

(a) informing in writing the employee of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken and giving him an opportunity of making any representation he may wish to make against the proposal;

(b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-regulations (3) to (23) of regulation 12, in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary;

(c) taking the representation, if any, submitted by the employee under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under (b) into consideration; and

(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour.

(2) The record of the proceedings in such cases shall include—

(a) a copy of the intimation to the employee of the proposal to take action against him;

(b) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him;

(c) his representation, if any;

(d) the evidence produced during the inquiry;

(e) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and

(f) the orders on the case together with the reasons therefor.

(3) Notwithstanding the provisions contained in clause (b) of sub-regulation (1), if in a case it is proposed, after considering the representation, if any, submitted by the employee, to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period or if the penalty of withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the employee, an enquiry shall invariably be held in the manner laid down in sub-regulations (3) to (23) of regulation 12, before making any order imposing on the employee any such penalty.

15. Communication of orders.—Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the employee who shall also be supplied with a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority, and a copy of its findings on each article of charge, or where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a copy of the report of theinquiring authority and a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquring authority, unless they have already been supplied to him.

16. Common proceedings.—(1) Where two or more employees are concerned in any case, the Chairman or the authority competent to impose a penalty of dismissal from service on all such employees may make an order that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

Note.—If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such employees are different, the

order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1) of section 25 of the Act and of regulation 10, any such order shall specify—

(i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceedings;

(ii) the penalties specified in regulation 8 which such disciplinary authority shall be competent to impose; and

(iii) whether the procedure prescribed in regulations 12 and 13 or regulation 14 or regulation 19 may be followed in the proceeding.

17. Special procedure in certain cases.—Notwithstanding anything contained in regulation 12 to regulation 16—

(i) where a penalty is imposed on an employee on the ground of conduct which had led to his conviction on a criminal charge, or

(ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these regulations, or

(iii) where the Chairman is satisfied that in the interest of the security of the Port it is not expedient to follow such a procedure,

the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and pass such orders thereon as it deems fit:

Provided that the approval of the Central Government shall be obtained before passing such orders in relation to an employee covered by clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Act.

18. Provisions regarding employees lent to Central Government etc.—(1) When the services of an employee are lent to the Central Government or a State Government or an authority subordinate thereto or to a local or other authority (hereinafter in this regulation referred to as "the borrowing authority"), the borrowing authority shall have the powers of the appointing authority for the purpose of conducting a disciplinary proceeding against him:

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the Chairman of the circumstances leading to the order of suspension of such employee or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding conducted against an employee—

(i) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 8 should be imposed on the employee, it may, after consultation with the Chairman, make such orders on the case as it deems necessary:

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the Chairman, the services of an employee shall be replaced at the disposal of the Board.

(ii) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8 should be imposed on the employee, it shall replace his services at the disposal of the Board and transmit to the Chairman the proceedings of the inquiry and thereupon, the Chairman may pass such orders as he may deem necessary:

Provided that before passing any such order the Chairman shall comply with the provisions of sub-regulations (3) and (4) of regulation 13:

Provided further that no such order, so far as it relates to an employee referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Act shall have effect until it is approved by the Central Government.

Explanation: The disciplinary authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted to it by the borrowing authority, or after holding such further inquiry as it may deem necessary, as far as may be, in accordance with regulation 12.

19. Provisions regarding employees borrowed from Central Government, etc.—(1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is taken against an employee whose services have been borrowed from the Central Government or a State Government or an authority subordinate thereto or a local or other authority, the authority lending his services (hereinafter in these regulations referred to as the "lending authority") shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of his suspension or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against the employee—

(i) if it is decided that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 8 should be imposed on him, the deciplinary authority may, subject to the provisions of sub-regulation (3) of regulation 13, after consultation with the lending authority, pass such orders on the case as it deems necessary:

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the employee shall be replaced at the disposal of the lending authority;

(ii) if the disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8 should be imposed on the employee, it shall replace his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as it deems necessary.

PART VII—APPEALS

20. Orders against which no appeal lies.—Notwithstanding anything contained in this Part, no appeal shall lie against—

(i) any order made by the Central Government;

(ii) any order in appeal or any order in review made by the Chairman;

(iii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under regulation 12;

(iv) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid or the final disposal of a disciplinary proceeding other than an order of suspension.

21. Orders against which appeal lies.—Subject to the provisions of regulation 20, an employee may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely:—

(i) an order of suspension made or deemed to have been made under regulation 7;

(ii) an order imposing any of the penalties specified in regulation 8 made by the disciplinary authority;

(iii) an order which—

(a) denies or varies to his disadvantage his pay, allowances pension or other conditions of service as regulated by regulations; or

(b) interprets to his disadvantage the provisions of any such regulations;

(iv) an order—

(a) stopping him at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(b) reverting him while officiating in a higher grade or post to a lower grade or post otherwise than as a penalty;

(c) reducing or withholding the pension or denying the maximum pension admissible to him under the regulations;

(d) determining the subsistence and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof;

(e) determining his pay and allowances—

(i) for the period of suspension, or

(ii) for the period from the date of his dismissal, removal, or compulsory retirement from service, or from the date of his reduction to a lower grade, post, time-scale or stage in a time-scale of pay, to the date of his re-instatement or restoration to his grade or post, or

(f) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement, or reduction to a lower grade post, time-scale of pay or stage in a time-scale of pay to the date of his reinstatement or restoration to his grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose.

Explanation.—In this regulation—

(i) the expression "employee" includes a person who has ceased to be in the Board's Service ;

(ii) the expression "pension" includes additional pension, gratuity and any other retirement benefits.

22. Appellate Authorities.—An employee, including a person who has ceased to be in the Board's service, may prefer an appeal against—

(i) an order of suspension, to the authority to which the authority which made or deemed to have made the order is immediately subordinate;

(ii) An order imposing any of the penalties specified in regulation 8, to the authority specified in this behalf in the Schedule;

(iii) all or any of the orders specified in clauses (iii) and (iv) of regulation 20, to the authority to which an appeal against an order imposing upon him the penalty of dismissal would lie.

23. Appellate Authorities in special circumstances.—Notwithstanding anything contained in regulation 22,

(i) an appeal against an order in common proceeding shall lie to the authority to which the authority functioning as the disciplinary authority is immediately subordinate;

(ii) where the person who made the order appealed against becomes by virtue of his subsequent appointment as the Chairman, an appeal against such order shall lie to the Central Government and the Central Government in relation to that appeal shall be deemed to be the appellate authority for the purpose of this regulation.

24. Period of limitation for appeals.—No appeal preferred under this Part shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of two months from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

25. Form and contents of appeals.—(1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name.

(2) (a) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies, a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against.

(b) The appeal shall contain all materials statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any dis-respectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay and without waiting for any direction from the appellate authority.

26. Consideration of appeal.—(1) in the case of an appeal against an order of suspension, the appellate authority shall consider whether in the light of the provisions of regulation 7 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly.

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in regulation 8 or enhancing any penalty imposed under the said regulation, the appellate authority shall consider—

(a) Whether the procedure laid down in these regulations has been complied with, and if not, whether such non-compliance has resulted in the failure of justice;

(b) whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on the record; and

(c) whether the penalty imposed is adequate, inadequate or severe;

and pass orders—

(i) confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty; or

(ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case:

Provided that—

(i) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8 and an inquiry under regulation 12 has not already been held in the case, the appellate authority shall, subject to the provisions of regulation 17, itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of regulation 12 and thereafter, on a consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of sub-regulation (4) of regulation 13 of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry, make such orders as it may deem fit;

(ii) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8 and an inquiry under regulation 12 has already been held in the case, the appellate authority shall, after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of sub-regulation (4) of regulation 13, making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry make such orders as it may deem fit; and

(iii) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity, as far as

may be in accordance with the provisions of regulation 12, of making a representation against such enhanced penalty.

(3) In an appeal against any other order specified in regulation 21, the appellate authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable.

27. Implementation of orders in appeal.—The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

PART VIII—REVIEW

28. Review.—(1) Notwithstanding anything contained in these regulations—

(i) the Central Government, or

(ii) the Chairman

may at any time, either on its or his own motion, or otherwise, call for the records of any inquiry and review any order made under these regulations, or under the regulations or orders or practices repealed by regulation 31, from which an appeal is allowed, but no appeal has been preferred, or from which no appeal is allowed after consultation with the Central Government where such consulation is necessary and may—

(a) confirm, modify or set aside the order; or

(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed; or

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or

(d) pass such other orders as it may deem fit:

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the reviewing authority unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the penalties specified in those clauses, no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in regulation 12 and after giving a reasonable opportunity to the employee concerned of showing cause against the penalty proposed on the evidence adduced during the inquiry and except after consultation with the Central Government where such consultation is necessary :

Provided further that no power of review shall be exercised by the Chairman unless—

(i) the authority which made the order in appeal, or

(ii) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred,

is himself or is subordinate to him.

(2) No proceeding for review shall be commenced until after—

(i) the expiry of the period of limitaton for any appeal, or

(ii) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred.

(3) An application for review shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these regulations.

PART IX—MISCELLANEOUS

29. Service of orders and notices.—Every order, notice and other process made or issued under these regulations shall be served in person on the employee concerned or communicated to him by registered post.

30. Power to relax time-limit and to condone delay.—Save as otherwise expressly provided in these regulations, the authority competent under these regulations to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these regulations for anything required to be done under these regulations or condone any delay.

31. Repeal.—On the commencement of these regulations, rules 23, 24, 25 and 28 of the Bombay Port Trust Rules and Regulations for Non-Scheduled Staff and Appendix 'E' thereof, in relation to the employees who were governed by the said Rules and Regulations for the Non-Scheduled Staff, immediately before the commencement of these regulations, and the orders or practices in force immediately before the commencement of these regulations in relation to all other employees shall stand repealed :

Provided that—

(a) such repeal shall not affect the previous operation of the said Rules and Regulations for Non-Scheduled Staff or the said orders or practices or anything done or any action taken thereunder ;

(b) any proceeding under the said Rules and Regulations for Non-Scheduled Staff or the said orders or practices pending at the commencement of these regulations shall be conducted and disposed of as far as may be in accordance with the provisions of these regulations.

(2) An appeal pending or preferred after the commencement of these regulations against an order made before such commencement shall be considered and orders thereon shall be passed in accordance with these regualtions.

31. Removal of doubts.—Where a doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the matter shall be referred to the Chairman, who shall decide the same.

SCHEDULE

(See regulations 2, 10 and 22)

Sr. No.	Categories of employees	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to clauses (i) to (ix) of regulation 8)		Appellate authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
1.	Employees holding posts referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Act.	(i) Chairman	(i) Penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 8.	Central Government.
		(ii) Chairman with prior approval of Central Government.	(ii) Penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8.	
2.	Employees holding Class 1 posts other than those covered by Sr. No. 1.	Chairman	All	Central Government.

1	2	3	4	5
3.	Employees holding (i) Class II Posts ; and (ii) Class III posts with a maximum exceeding Rs. 475.	Deputy Chairman	All	Chairman
4.	Employees holding Class III posts other than those covered by item (ii) in Sr. No. 3.	Head of a Department	All	(i) Dy. Chairman, where penalties imposed by the order appealed against are those specified in clauses (i) to (iv) of regulation 8. (ii) Chairman where penalties imposed by the order appealed against are those specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8.
5.	Employees holding Class IV posts.	Head of a Department	All	(i) Dy. Chairman, where penalties imposed by the order appealed against are those specified in clauses (i) to (iv) of regulation 8. (ii) Chairman where penalties imposed by the order appealed against are those specified in clauses (v) to (ix) of regulation 8.

[F. No. PEB/(8)/75]

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1976

(पत्तन)

सा०का०नि० 644.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंगलौर बन्दरगाह परियोजना (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

(1) इन नियमों का नाम मंगलौर बन्दरगाह परियोजना (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) (भर्ती प्रथम संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मंगलौर बन्दरगाह परियोजना (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची में, "भाग 1-वर्ग 3 पद" शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं० 13 के सामने स्तम्भ 1 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल/यांत्रिक/विद्युत)" रखी जाएगी।

[सं० पी०ई०एल०-25/75]

श्रीमती बी० निर्मल, अवर सचिव

New Delhi, the 20th, April 1976

(PORTS)

G.S.R. 644.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1966, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment (First Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1966, under the heading "Part I—Class III posts", for the existing entry in column 1 against serial No. 13, the entry "Junior Engineer (Civil/Mechanical/Electrical)" shall be substituted.

[F. No. PEL-25/75]

Mrs. B. NIRMAL, Under Secy.

सा०का०नि० 645.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीप घर और दीप पोत विभाग (वर्ग 1 और वर्ग 2 समुद्र पक्ष के पद') भर्ती नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का नाम दीपघर और दीप पोत विभाग (वर्ग 1 तथा वर्ग 2 समुद्र पक्षीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दीपघर और दीप पोत विभाग (वर्ग 1 तथा वर्ग 2 समुद्रपक्षीयय पद) भर्ती नियम, 1965 में,—

(1) नियम 6 के बाद निम्नलिखित रखा जाये :—

"व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ;

(ii) अनुसूची में,—

(क) मास्टर एम वी सागरदीप, मास्टर एम एस प्रदीप, मुख्य अधिकारी, एम वी सागर दीप, मुख्य अधिकारी एम एस प्रदीप, मुख्य इंजीनियर एम वी सागर दीप, मुख्य इंजीनियर एम एस प्रदीप, द्वितीय

इंजीनियर एम वी सागर दीप, तृतीय इंजीनियर एम वी सागर दीप, और द्वितीय इंजीनियर एम एस प्रदीप के पदों तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों को हटा दिया जाए ।

(ख) समुद्री अधिकारी के पद के सामने स्तम्भ 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 और 13 में प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाये, अर्थात :—

स्तम्भ 2	"1
स्तम्भ 3	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप—'ए'
स्तम्भ 4	1500-60-1800 (संशोधित)
स्तम्भ 6	लागू नहीं होता
स्तम्भ 7	लागू नहीं होता
स्तम्भ 9	लागू नहीं होता
स्तम्भ 10	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर (इसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है)।
स्तम्भ 11	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (इसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) जल परिवहन विभाग के नौ सर्वेक्षक अथवा शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, मुगल लाईन तथा अन्य सरकारी उपक्रमों के इस पद के समतुल्य अधिकारी (प्रतिनियुक्ति-अथवा संविदा की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)
स्तम्भ 13	स्तम्भ 10 के उपबंधों के साथ पठित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमन, 1958 के अधीन यथापेक्षित ।

(ग) नौ वास्तुक के पद तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों को हटा दिया जाये ।

[फा०सं०एल०एल०ई-38/74-एम०टी०]

G.S.R. 645.—In exercise of the powers conferred by the priviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Lighthouses and Lightships (Class I and Class II Marine side posts) Recruitment Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Lighthouses and Lightships (Class I and Class II Marine side posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the the Department of Lighthouses and Lightships (Class I and Class II Marine side posts) Recruitment Rules, 1965,—

(i) after rule 6, the following shall be inserted, namely:—

"7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard";

(ii) in the Schedule,—

(a) the posts of Master M.V. Sagardeep; Master M. S. Pradeep; Chief Officer M. V. Sagardeep; Chief Officer M. S. Pradeep; Chief Engineer M. V. Sagardeep; Chief Engineer M. S. Pradeep; Second Engineer M. V. Sagardeep; Third Engineer M. V. Sagardeep; and Second Engineer M. S. Pradeep and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) against the post of Marine Officer, for the entries in columns 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 and 13, the following shall respectively be substituted, namely :—

Column 2 — 1

Column 3 — General Central Service Group 'A'

Column 4 — Rs. 1500-60-1800 (Revised)

Column 6 — not applicable

Column 7— Not applicable

Column 9 — Not applicable

Column 10 — By transfer on deputation (including short-term contract), selection being made in consultation with the Union Public Service Commission.

Column 11 — *Transfer on deputation (including short-term contract)* Nautical Surveyors or the Mercantite Marine Department or officers holding posts analogous theroto in the Shipping Corporation of India, Mogul Lines and other Government of India Undertakings.

(Period of deputation/or contract shall ordinarily not exceed 3 years).

Column 13 — As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Sonsulation) Regulations, 1958, read with the provisions under column 10".;

(c) The post of Naval Arachitect and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. LLE-38/74-MT]

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1976

(व्यापार पोत)

सा०का०नि० 646:— व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 87 के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा व्यापार पोत (व्यापार पोत में इंजीनियरों की परीक्षा) नियम, 1963 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है। अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम व्यापार पोत (व्यापार पोत में इंजीनियरों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. व्यापार पोत (व्यापार पोत में इंजीनियर की परीक्षा) नियम, 1963 में, नियम 52 में, खंड (क) और (ख) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात :—

"(क) द्वितीय श्रेणी इंजीनियर (स्टीम अथवा मोटर अथवा सम्मिलित स्टीम और मोटर):—

	रु०
(i) सम्पूर्ण परीक्षा के लिए	60.00
(ii) भाग (क) अथवा भाग (ख) अथवा किसी भी भाग के कुछ हिस्से के	30.00
(iii) द्वितीय श्रेणी इंजीनियर के प्रमाणपत्र के अनुसमर्थन के लिए	30.00

(ख) प्रथम श्रेणी के इंजीनियर

(i) सम्पूर्ण परीक्षा के लिए	120.00
(ii) भाग (क) अथवा भाग (ख) अथवा किसी भी भाग के कुछ हिस्से के लिए	60.00
(iii) प्रथम श्रेणी इंजीनियर के प्रमाण पत्र के अनुसमर्थन के लिए	60.00

[5-एम०एम०आर० (2)/76-एम०ए०]

दीवान चन्द अहीर, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd April, 1976

(MERCHANT SHIPPING)

G.S.R. 646.—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b), (c) and (d) of Section 87 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Merchant Shipping (Examination of Engineers in the Merchant Navy) Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Examination of Engineers in the Merchant Navy) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Merchant Shipping (Examination of Engineers in the Merchant Navy) Rules, 1963, in rule 52, for clauses (A) and (B), the following shall respectively be substituted, namely :—

"(A) SECOND CLASS ENGINEER (Steam or Motor or combined Steam and Motor) :

	Rs.
(i) For the full examination	60.00
(ii) For Part A or Part B or a portion of either part	30.00
(iii) For endorsement of a Second Class Engineer's Certificate	

(B) FIRST CLASS ENGINEER

(i) For the full examination	120.00
(ii) For Part A or Part B or a portion of either part	60.00
(iii) For endorsement of a First Class Engineer's Certificate	60.00

[No. 5-MSR (2)/76-MA]

D. C. AHIR, Under Secy.

(सड़क पक्ष)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1976

सा० का० नि० 647.—राष्ट्रपति नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) नियम, 1976 के केन्द्रीय इन्जीनियरी सेवा (सड़क), ग्रुप "ए" के नियम 3 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश देते हैं कि नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) के केन्द्रीय इन्जीनियरी सेवा (सड़क) ग्रुप "ए" में विभिन्न ग्रेडों में पदों की संख्या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय निम्नलिखित होगी :—

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल
1.	मुख्य इंजीनियर (सड़क)			
	(i) स्तर-I	1	1	2
	(ii) स्तर-II	1	1	2
2.	मुख्य इन्जीनियर (पुल)			
	(i) स्तर-I	1	—	1
	(ii) स्तर-II	1	—	1
3	अधीक्षक इन्जीनियर	10	5	15
4.	कार्यकारी इन्जीनियर	8	11	19
5.	सहायक कार्यकारी इन्जीनियर	9	22	31

2. उक्त संख्या में, सरकार द्वारा समय-समय पर यथा आदेशित वृद्धि अथवा कमी की जा सकेगी ।

3. उक्त पैरा 1 में उल्लिखित नियम के परन्तुक के अनुसार राष्ट्रपति, यह भी आदेश देते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, सेवा संवर्ग में सम्मिलित विभिन्न ग्रेडों में निम्नलिखित पद अगला आदेश होने तक के लिए आस्थगित रखे जाएंगे और सेवा से बाहर "पृथक पदों" के रूप में बनाए जायेंगे :—

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	मुख्य इंजीनियर (सड़क)	
	(i) स्तर-I	2 (1 स्थायी) (1 अस्थायी)
	(ii) स्तर-II	2 (1 स्थायी) (1 अस्थायी)
2.	मुख्य इंजीनियर (पुल) स्तर-II	1 (स्थायी)
3.	अधीक्षक इन्जीनियर	2 (अस्थायी)
4.	कार्यकारी इन्जीनियर	3 (अस्थायी)

(फाईल सं० ए० 23(14)/76)

(Roads Wing)

New Delhi, the 21st April, 1976

G.S.R. 647.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (3) of rule 3 of the Central Engineering Service (Roads), Group 'A' of the Ministry of Shipping & Transport (Roads Wing), Rules, 1976, the President is pleased to ordeer that the strength of the posts in the various grades in the Central Engineering Service (Roads) Group 'A' of the Ministry of Shipping and Transport (Roads Wing) shall be as follows at the stage of initial constitution of the Service:—

Sl. No.	Name of post	Number of posts		
		Permanent	Temporary	Total
1.	Chief Engineer (Roads).			
	(i) Level—I	1	1	2
	(ii) Level—II.	1	1	2
2.	Chief Engineer (Bridges)			
	(i) Level—I	1	..	1
	(ii) Level—II.	1	..	1
3.	Superintending Engineer	10	5	15
4.	Executive Engineer	8	11	19
5.	Assistant Executive Engineer	9	22	31

2. The above strength will be subject to such addition or reduction as may be ordered by the Government from time to time.

3. In terms of the proviso to the rule referred in para 1 above, the President is further pleased to order, in consultation with the UPSC, that the following posts in the various grades included in the cadre of the Service shall be kept in abeyance until further orders and operated as "isolated posts" outside the Service:—

Sl. No.	Name of post	Number of posts
1.	Chief Engineer (Roads). (i) Level—I	2 { 1 permanent) 1 temporary)
	(ii) Level—II.	2 { 1 permanent) 1 temporary).
2.	Chief Engineer (Bridges) Level—II.	1 (permanent)
3.	Superintending Engineer	2 (temporary)
4.	Executive Engineer	3 (temporary)

[File No. A-23(14)/76]

सा० का० नि० 648—नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष), नियम 1976 के केन्द्रीय इंजीनियरी पुल, ग्रुप 'ए' के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आदेश देते है कि नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) के के० ई० पुल ग्रुप 'ए' में विभिन्न ग्रेडों में पदों की संख्या पुल के प्रारम्भिक गठन के समय निम्न प्रकार होगी :—

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल
1.	मुख्य इंजीनियर (सड़क)			
	(i) स्तर-I	—	—	—
	(ii) स्तर-II	—	1	1
2.	मुख्य इंजीनियर (पुल)			
	(i) स्तर-I	1	—	1
	(ii) स्तर-II	—	1	1
3.	अधीक्षक इंजीनियर	8	9	17
4	कार्यकारी इंजीनियर	31	38	69
5.	सहायक कार्यकारी इंजीनियर	27	2	29

2. उपरोक्त संख्या में समय-समय पर सरकार द्वारा यथा आदेशित वृद्धि अथवा कमी की जा सकेगी ।

3. राष्ट्रपति उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित नियम के परंतुक के अनुसार यह भी आदेश देते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुल के संवर्ग में सम्मिलित विभिन्न ग्रेडों में निम्नलिखित पद अगला आदेश होने तक के लिए आस्थगित रखे जाएंगे और पुल से बाहर "पृथक पदों" के रूप में चलाए जाएंगे :

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या
1	मुख्य इंजीनियर (सड़क) स्तर-II	1 (अस्थायी)
2.	मुख्य इंजीनियर (पुल)	
	(i) स्तर-I	1 (स्थायी)
	(ii) स्तर-II	1 (अस्थायी)
3.	अधीक्षक इंजीनियर	9 (अस्थायी)
4.	कार्यकारी इंजीनियर	8 (अस्थायी)

[सं० ए०-23(14)/76]

पी० एल० गुप्ता, उप-सचिव

G.S.R. 648.—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Central Engineering Pool, Group 'A', of the Ministry of Shipping & Transport (Roads Wing), Rules 1976, the President is pleased to order that the strength of the posts in the various grades in the Central Engineering Pool Group 'A' of the Ministry of Shipping and Transport (Roads Wing) shall be as follows at the stage of initial constitution of the Pool :—

Sl. No.	Name of Post	Number of posts		
		Permanent	Temporary	Total
1.	Chief Engineer (Roads).			
	(i) Level—I	..	..	..
	(ii) Level—II.	..	1	1
2.	Chief Engineer (Bridges)			
	(i) Level—I	1	..	1
	(ii) Level—II.	—	1	1
3.	Superintending Engineer	8	9	17
4.	Executive Engineer	31	38	69
5.	Assistant Executive Engineer	27	2	29

2. The above strength will be subject to such addition or reduction as may be ordered by the Government from time to time.

3. In terms of the proviso to the rule referred to in para 1 above, the President is further pleased to order, in consultation with the UPSC, that the following posts in the various grades included in the cadre of the Pool shall be kept in abeyance until further orders and operated as "isolated posts" outside the Pool:

Sl. No.	Name of post	Number of posts
1.	Chief Engineer (Roads) Level—II	1 (temporary).
2.	Chief Engineer (Bridges)	
	(i) Level—I	1 (permanent)
	(ii) Level—II.	1 (temporary)
3.	Superintending Engineer	9 (temporary)
4.	Executive Engineer	8 (temporary).

[No. A-23(14)/76]

P.L. GUPTA, Dy. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 22 मार्च, 1976

सा० का० नि०..649.....:--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन कृषि सेवा केन्द्र योजना, बंदनी और हिसार में सन्देशवाहक पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--(1) इन नियमों का नाम कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग), कृषि सेवा केन्द्र, बुदनी और हिसार (संदेशवाहक) भर्ती नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :--उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक मे विनिर्दिष्ट है।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताए आदि .--उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक मे विनिर्दिष्ट है।

4 निरर्हतायें -- वह व्यक्ति --

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति --जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमो के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियो की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति --इन नियमो की कोई भी बात ऐसे आरक्षणो और अन्य रियायतो पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध मे समय-समय पर निकाले गए आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियो के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदो की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताए
1	2	3	4	5	6	7
सन्देशवाहक	6	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 अराजपत्रित	70-1-80-द० रो०-1-85 रुपये (पुनरीक्षित वेतनमान) 196-3-220-द० रो०-3-232 रुपये	लागू नही होता	25 वर्ष से अनधिक	(i) मिडल स्तर पास होना चाहिए। (ii) साईकिल चलाना जानता हो।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नतो की दशा मे लागू होगी या नही	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियो मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	
लागू नही होता	दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नहीं होता

[सं० 12-97/75-मशीनरी (ए०

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(Department of Agriculture)

New Delhi, the 22nd March, 1976

G.S.R. 649.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Pres the following rules regulating the method of recruitment to the post of Messenger in the Agro Service Centre Scheme under the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), namely :—

1. Short title and commencement —(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture & Irrigation culture) Agro Service Centre, Bundi & Hissar (Messenger) Recruitment Rules, 1975,
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and Scales of Pay.—The number of the said post, its classification and the sca shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. :—The method of recruitment, age limit, quali relating to the said post shall be as specified in Columns 5 to 13 of the said schedule.

4. Disqualification.——No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruitment.	Educational and other qualification required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Messenger	Six	General Central Services, Class IV, Non-Gazetted.	Rs. 70-1-80-EB-1-85 (Revised Scale) Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	Not exceeding 25 years	(i) should have passed Middle Standard. (ii) should know cycling.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of appointment made by promotion/transfer.	Period of probation if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of promotion, deputation or transfer grades for sources from which promotion, transfer or deputation to be made.	Composition of Departmental Promotion Committee.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct Recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[No. 12-97/75-MY(AS)]

सा० का० नि० 650.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन कृषि सेवा केन्द्र स्कीम बुदनी और हिसार में ट्रैक्टर चालक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--(1) इन नियमों का नाम कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग), कृषि सेवा केन्द्र, बुदनी और हिसार (ट्रैक्टर चालक) भर्ती नियम, 1976 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :--उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :--उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त [illegible]ची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है ।

[illegible]ताएं :--वह व्यक्ति :--

[illegible]सने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

[illegible] अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

[illegible] नहीं होगा :

[illegible]य सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है [illegible]धार अन्य मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

[illegible]शक्ति :--जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें [illegible]वा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल

6. व्यावृत्ति :--इन नियमो की कोई भी बात ऐसे आरक्षणो और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियो के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
ट्रैक्टर चालक	6	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, (अ-राजपत्रित) अलिपिक-वर्गीय	150-5-175-6-205 रु० (पुनरीक्षित वेतनमान) 330-8-370-10-400-द० रो०-10-180 रुपये	लागू नही होता	20-30 वर्ष	आवश्यक : (1) ट्रैक्टर और भारी वाहनों के चालन की वैध अनुज्ञप्ति होनी चाहिए । (2) भारी वाहनों के चालन का 5 वर्ष का अनुभव । वाछनीय. (1) मैट्रिक या समतुल्य (2) भारत सरकार के प्रशिक्षण केन्द्रो या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का मैकेनिक (ट्रैक्टर) पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नतो की दशा मे लागू होगी या नही	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी सरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियो मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नही होना	दो वर्ष	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 50 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा ।	अन्य सरकारी कार्यालयो के समान या समतुल्य पदधारी उपयुक्त व्यक्तियो के स्थानान्तरण द्वारा ।	लागू नही होना	लागू नही होता

[सं० 12-97/75-मशीनरी (ए०एस०)]

G.S.R. 650.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Tractor Driver in the Agro Service Centre Scheme, Budni and Hissar, under the Ministry of Agriculture and Irrigation, (Department of Agriculture), namely :—

1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), Agro Service Centre, Budni and Hissar (Tractor Driver) Recruitment Rules, 1975. (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Number, Classification and Scales of Pay. —The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. —The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns 5 to 13 of the said schedule.

4. Disqualification. —No person (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax. —Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. —Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts.	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non selection post.	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Tractor Driver	6	General Central Services, Class III (Non-Gazetted) Non Ministerial	Rs. 150-5-175-6-205 (Revised Scale) Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480)	Not applicable	20—30 Years	Essential : (i) Should have a valid Driving Licence for Tractors and heavy vehicles. (ii) Five years' experience of driving heavy vehicles. Desirable : (i) Matriculation or equivalent. (ii) A certificate of Training Centres of Government of India or I.T.I. in Mechanics (Tractor) Course.

Whether age and educational qualifications perscribed for direct recruits will apply in case of appointment made by promotion/transfer.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of promotion/deputation or transfer grades for sources from which promotion/transfer or deputation to be made.	Composition of Departmental Promotion Committee.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two Years	50% by direct recruitment, 50% by transfer.	Transfer of suitable persons holding similar or equivalent posts in other Government Offices.	Not applicable	Not applicable

[No. 12-97/75-My (AS)]

सा० का० नि० 651:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन कृषि सेवा केन्द्र स्कीम बुवनी और हिसार में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग), के अधीन कृषि सेवा केन्द्र बुवनी और हिसार (उच्च श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताये आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति.--इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
उच्च श्रेणी लिपिक	6	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अराजपत्रित लिपिक वर्गीय	110-5-150-8-200-द०रो० -8-256-द०रो०-8-280-10 300 रुपए । पुनरीक्षित वेतनमान 330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति--भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	50 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा और 50 प्रतिशत उन निम्न श्रेणी लिपिकों तक सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष सेवा की हो	अन्य सरकारी कार्यालयों के ऐसे या समतुल्य पदधारी उपयुक्त व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० 12-97/75-मशीनरी (ए० एस०]

G.S.R.—651 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Agro Service Centre Scheme, Budni and Hissar, under the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture) namely:—

1. Short title and commencement;— (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), Agro Service Centre, Budni and Hissar (Upper Division Clerk) Recruitment Rules, 1975. (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Number, Classification and Scales of Pay :— The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age nit, qualifications etc. :—The method of recruitment, age limit, qualification, and other matters relating to the said post shall be as s ified in Columns 5 to 13 of the said schedule.

4. Disqualification :—No per n,

(a) who has entered into or ntracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse li ng, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central vernment may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to th arriage and three are other grounds for so doing exempt an person from the operation of this rule.

5. Powers to relax :— Wl the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in wr elax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :— Nothing rules shall affect reservation and other concessions be required to pro or the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and oth al categories of persons in accordance with the orders issued by the Government time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classifications	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Upper Division Clerk	6	General Central Services, Class III, Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 130-5-150-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300. Revised Scale : Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of appointment made by promotion/transfer	Period of probation, if any	Method of recruitment—whether by direct recruitment or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of promotion/deputation or transfer grades for sources from which promotion/transfer or deputation to be made	Composition of Departmental Promotion Committee	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making the recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years.	50% by transfer and 50% by limited Departmental Examination confined to Lower Division Clerks who have rendered not less than three years service.	Transfer of suitable persons holding similar or equivalent posts in other Government Offices.	Not applicable.	Not applicable.

[No 12-97/75-My(AS)]

सा० का० नि० 652 :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन कृषि सेवा केन्द्र स्कीम बुधनी और हिसार में प्रशिक्षण प्रचालक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्,—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग), कृषि सेवा केन्द्र, बुधनी और हिसार (प्रशिक्षण प्रचालक) भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है।

4 निरर्हताएं :— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को ल◌ागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमो के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के — — बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिन[redacted]न्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध मे समय-समय पर निकाले गए के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के[redacted]तया के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रशिक्षण प्रचालक	6	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	425-15-560-इ० रो०-20-640इ०	लागू नहीं होना	21 से 35 वर्ष	आवश्यक : कृषि इंजीनियरी, यांत्रिय इंजीनियरी या कृषि में और ट्रैक्टर प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत तथा कृषि मशीनरी फार्म तकनीकों और शिक्षण का कम से कम 3 वर्ष के अनुभव सहित प्रमाणपत्र। वांछनीय : कक्षाएं लेने की योग्यता। हिन्दी का अच्छा ज्ञान।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा भिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होना	दो वर्ष	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा	अन्य सरकारी कार्यालयों में समरूप या समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों का स्थानान्तरण	लागू नहीं होना	लागू नहीं होना।

[सं० 12-97/75-मशीनरी (ए० एस०)]

पी० आई० डेविड, अवर सचिव

G.S.R. 652.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Training Operator in the Agro Service Centre Scheme, Budni and Hissar, under the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), Agro Service Centre, Budni and Hissar (Training Operator) Recruitment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and Scales of Pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person—

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .— Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Training Operator	6	General Central Services, Class III, Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 425-15-560-EB-20-640.	Not applicable.	21 to 35 yrs.	Essential:— A Certificate in Agricultural Engineering, Mechanical Engineering or Agriculture with at least three years operation, maintenance and repair of tractor and Agricultural Machinery farming techniques and teaching experience. Desirable:— Ability to conduct classes. Sound knowledge of Hindi.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of appointment made by promotion/transfer	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of promotion deputation or transfer grades for sources from which promotion transfer or deputation to be made	Composition of Departmental Promotion Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	50% by direct recruitment, 50% by transfer	Transfer of persons holding similar or equivalent posts in other Government Offices.	Not applicable	Not applicable

[No. 12-97/75-My(AS)]

P. I. DAVID, Under Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली 13 अप्रैल, 1976

सा० का० नि० 653.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार निदेशालय नई दिल्ली में डाक पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम विस्तार निदेशालय डाक पर्यवेक्षक भर्ती नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इस नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है ।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने एक व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
डाक-पर्यवेक्षक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'सी' अराजपत्रित/ अननुसचिवीय	500-25-750-द० रो०-30-900 रु०	चयन	30 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य । (2) प्रकाशनालय या किसी सरकारी प्रकाशन स्थापन, संगठन या विभाग में प्रेषण (अत्याधिक मात्रा में) प्रकाशनों के प्रदर्शन और विक्रय में दो वर्ष का अनुभव । (अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय) । वांछनीय : विक्रय कला को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी और हिन्दी पर अधिपत्य ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नती की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : विक्रय सहायक जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष सेवा की हो ।	वर्ग II विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. कृषि विभाग के संयुक्त प्रशासन ...अध्यक्ष 2. विस्तार निदेशालय के प्रशासन निदेशक ...सदस्य 3. कृषि विभाग के उप-सचिव, (प्रशासन) ....सदस्य 4. कृषि विभाग के अवर सचिव (प्रशासन) ....सदस्य सचिव	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित ।

[सं० एफ०-29-37-सी० ए० 4]

सी० सा० सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, 13th April, 1976

G.S.R. 653—In exercise of the powers conferred by the priviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Mailing Supervisor in the Directorate of Extension (Vistar Nideshalaya), New Delhi, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Directorate of Extension (Vistar Nideshalaya) Mailing Supervisor Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and scale of Pay .— The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in column 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification .— No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Mailing Supervisor	1	General Central service, Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 550-25-750-EB-30-900	Selection	30 years (relaxable for Government Servants).	Essential :— (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) Two years' experience in the despatch (on mass scale), display and sale of publications with a Publishing House or a Government Publishing Establishment, organisation or Department. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). Desirable:— Command over English or Hindi with flare for salesmanship.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. Exists what is it s composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
No.	2 years.	By promotion, failing which, by direct recruitment.	Promotion: Sales Assistants with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Class II Departmental Promotion Committee consisting of @1 Joint Secretary in-charge of Administration.—Chairman. 2. Director of Administration, Directorate of Extension—Member. @ Deputy Secretary in-charge of Administration—Member. @4. Under Secretary in charge of Administration.—Member-Secy.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulation 1958

@ in the Department of Agriculture.

[No. F. 29-37/73-CA IV]

S. N. SINHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 1976

सा० का० नि० 654.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सफाई निरीक्षक दिल्ली दुग्ध योजना के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने वाले निम्नलिखित बनाते है, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम दिल्ली दुग्ध योजना सफाई निरीक्षक भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है।

4 निरर्हताएं.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सफाई निरीक्षक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग 3) अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	330-10-380-द० रो-12-500-द० रो-15-560 रु०	लागू नहीं होता	21 से 30 वर्ष के बीच	**आवश्यक** : (i) मैट्रिक या समतुल्य (ii) सफाई निरीक्षक के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थान, मुम्बई का प्रमाणपत्र या समतुल्य। **वांछनीय** बृहद दुग्ध उद्योग संयंत्रों खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों या अस्पतालों मे सफाई कार्य में लगभग 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[एं० 3-43/73-एल० डी० 1]

गुरदयाल मोहन, अवर सचिव

New Delhi the 21st April, 1976

G.S.R. 654.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sanitary Inspector, Delhi Milk Scheme, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Milk Scheme (Sanitary Inspector) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Sanitary Inspector	1	General Central Service Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Not applicable	Between 21-30 years	Essential : (i) Matriculate or equivalent (ii) Certificate from All India Institute of Local Self Government Bombay in Sanitary Inspector's Training Course or equivalent. Desirable : Persons having about 3 years experience in sanitation work in a large dairy plants, food processing plant or hospitals.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation or transfer, grades from which promotion/deputation or transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	Direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[No. 3-43/73-LDII]

GURDIAL MOHAN, Under Secy.

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 655.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिंचाई मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम ग्रामीण विकास, लेखा अधिकारी, भर्ती नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

5 निरर्हताएं .—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6 व्यावृत्ति —इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
लेखा अधिकारी	2	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'	840-1200 (पुनरीक्षित)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।	प्रोन्नति ऐसे लेखापाल (प्रतिनियुक्ति को अपवर्जित करके) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी के रैंक का कोई समुचित अधिकारी या अधीनस्थ लेखा सेवा के लेखापाल जिन्होंने उस रूप में किसी संगठित लेखा विभाग अर्थात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग तथा भारतीय डाक और तार, वित्त और लेखा विभाग में से किसी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति । 1 संयुक्त सचिव (प्रशासन) अध्यक्ष 2 जहां का पद है वहां के प्रभाग का तकनीकी प्रमुख-सदस्य 3 निदेशक (प्रशासन) सदस्य 4 अवर सचिव स्थापन—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

[फा०सं० ए-43011/48/75-एस्ट०(आर०सी०)]

एल० एस० कानूगा, अवर सचिव ।

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 23rd January, 1976

G.S.R. 655.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer in the Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Rural Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Rural Development (Accounts Officer) Recruitment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in the columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that, such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordances with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection Post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Accounts Officer	2	General Central Service Group 'B'	Rs. 840-1200 (revised)	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	in case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	50% by promotion, failing which by transfer on deputation and 50% by transfer on deputation.	Promotion : Accountants (excluding deputationists) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Suitable Officers of the rank of Accounts/Audit officer or S.A.S. Accountants with 5 years' regular service as such, from any of the organised Accounts Departments viz., Indian Audit and Accounts Department, Indian Railway Accounts Department, Indian Defence Accounts Department and Indian Posts and Telegraphs Finance and Accounts Department. Note : The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.	Group 'B' Departmental Promotion Committee : 1. Joint Secretary (Administration)—Chairman 2. Technical Head of the Division where post is located—Member 3. Director (Administration)—Member 4. U.S. (Establishment) Member	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958

[F. No. A-43011/48/75-Estt. (RD)]

L. S. KANUGA, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1976

सा० का० नि० 656—केन्द्रीय सरकार, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 31 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय डाकघर नियम, 1933 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय डाकघर (पांचवां संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त होंगे ।

2 भारतीय डाकघर नियम, 1933 के नियम 84 के उपनियम (2) और (3) में, संक्षेपाक्षर और अंक "£2" के स्थान पर संक्षेपाक्षर और अंक "£5" रखे जाएंगे ।

[सं० 44/1/75-सी० एफ]

ए० वी० शेषन्ना, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

New Delhi, the 20th April, 1976

G.S.R. 656.—In exercise of the powers conferred by sections 31 and 32 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933 namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Fifth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the 1st day of July, 1976

2 In sub-rules (2) and (3) of rule 84 of the Indian Post Office Rules, 1933, for the abbreviation and figure "£2", the abbreviation and figure "£5" shall be substituted.

[No. 44/1/75-CF]

A. V. SESHANNA, Dy. Dir. Gen.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1976

सा० का० नि० 657—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभ्रक, खान श्रम कल्याण निधि संगठन (वर्ग 1 और 2 पद) भर्ती नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात —

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का नाम अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन (वर्ग 1 और 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि संगठन (वर्ग 1 और 2 पद) भर्ती नियम, 1964 में,—

(क) क्रम सं० (1क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और 1 सितम्बर, 1975 से रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात —

1	2	3	4	5	6	7	8
1क	कल्याण आयुक्त अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन राजस्थान	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह क, राजपत्रित	1100-50-1600 रु०	लागू नहीं होता	45 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)। टिप्पण आयु सीमा अवधारित करने की अन्तिम तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों में (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह और लक्षद्वीप में है) आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक . (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य । (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक सेवाओं या सामाजिक कार्य (श्रम कल्याण) या समाजिक कल्याण में उपाधि या डिप्लोमा या समतुल्य । (3) किसी सरकारी स्थापन में या लोक उपक्रम में या उद्योग में या किसी व्यवसाय संघ के संगठन में किसी उत्तरदायी हैसियत में, 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष का श्रम संबंधी समस्याओं का सुलझाने का अनुभव भी सम्मिलित है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
							(अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी, विशेष रूप से अनुभव सम्बन्धी अर्हता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है) । वांछनीय : (1) खानों में कार्य का ज्ञान और अनुभव । (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या समतुल्य ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 700-1300 रु० के वेतनमान के या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष सेवा की हो या 650-1200 रु० के या समतुल्य पदों पर 7 वर्ष सेवा की हो और जिनके पास श्रम संबंधी और प्रशासनिक मामलों में अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नहीं होता	यदि केन्द्रीय सरकार के समूह ख के किसी अधिकारी का या राज्य सरकार के किसी अधिकारी का, पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।"

(ख) क्रम सं० (1क) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

1	2	3	4	5	6	7	8
1ख.	कल्याण आयुक्त अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन, आन्ध्र प्रदेश ।	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह क, राजपत्रित ।	1100-50-1600 रु०	लागू नहीं होता	45 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) । टिप्पणी : आयु सीमा अवधारित करने की अन्तिम तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी ।	आवश्यक- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य । (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक सेवाओं या सामाजिक कार्य (श्रम कल्याण) या सामाजिक कल्याण में उपाधि या डिप्लोमा या समतुल्य । (3) किसी सरकारी स्थापन में या लोक उपक्रम में या उद्योग में या किसी व्यवसाय संघ के संगठन में किसी उत्तरदायी हैसियत

1	2	3	4	5	6	7	8
							में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष का श्रम सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने का अनुभव भी सम्मिलित है । (अर्हताएं, अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी, विशेष रूप से अनुभव सम्बन्धी अर्हता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है) । वांछनीय : (1) खानों में कार्य का ज्ञान और अनुभव । (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या समतुल्य ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 700-1300 रु० के वेतनमान के या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष सेवा की हो या 650-1200 रु० के या समतुल्य पदों पर 7 वर्ष सेवा की हो और जिनके पास श्रम सम्बन्धी और प्रशासनिक मामलों में अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नहीं होता	यदि केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के किसी अधिकारी का या राज्य सरकार के किसी अधिकारी का, पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

1	2	3	4	5	6	7	8
19. उप-कल्याण आयुक्त, अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन, बिहार	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	1100-50-1600 रु०	लागू नहीं होता	45 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा अवधारित करने की अन्तिम तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी ।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक सेवाओं या सामाजिक कार्य (श्रम कल्याण) या सामाजिक कल्याण में उपाधि या डिप्लोमा या समतुल्य । (iii) किसी सरकारी स्थापन में या लोक उपक्रम में या उद्योग में या किसी व्यवसाय या श्रम सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने का अनुभव भी सम्मिलित है ।

1	2	3	4	5	6	7	8
							(अर्हताएं, अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी; विशेष रूप से अनुभव सम्बन्धी अर्हता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है)। वांछनीय : (i) खानों में कार्य का ज्ञान और अनुभव । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से विधि की उपाधि या समतुल्य ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के, सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 700-1300 रु के वेतनमान के या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष सेवा की हो या 650-1200 रु० के या समतुल्य पदों पर 7 वर्ष सेवा की हो और जिनके पास श्रम सम्बन्धी और प्रशासनिक मामलों में अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	यदि केन्द्रीय सरकार के समूह ख के किसी अधिकारी का या राज्य सरकार के किसी अधिकारी का, पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथा अपेक्षित ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन के विभिन्न श्रेणी-I और श्रेणी-II पदों के भर्ती नियम 3-4-1964 को अधिसूचित किए गए थे । इन नियमों में यह प्रावधान था कि कल्याण आयुक्त, राजस्थान का पद (उस समय केवल कल्याण आयुक्त का एक ही पद विद्यमान था) "प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा" भरा जाए । अनुभव द्वारा पता चला कि इस प्रावधान ने प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न किया जिस कारण से श्रम मंत्रालय अपने उन अधिकारियों के प्राप्त अनुभव का जिन्हें आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर किया गया, उपयोग करने में असमर्थ रहा, क्योंकि वे प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति के बाद अपने पुराने पदों पर प्रत्यावर्तित होंगे । परिणाम यह हुआ कि संगठन अपने कल्याण आयुक्तों का काडर बना न सका । अनुभवी अधिकारियों की क्षति की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु यह निर्णय किया गया है कि ऐसे अधिकारियों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिये भर्ती के तरीकों में एक तरीका "स्थानान्तरण" का भी प्रावधान होना चाहिये । उपर्युक्त उद्देश्य के लिये भर्ती नियमों में संशोधन की स्वीकृति 9 जुलाई, 1975 को कार्मिक विभाग और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई थी । कल्याण आयुक्त, राजस्थान का पद कुछ ही समय में रिक्त होने वाला था और उसको भरने के लिये कदम उठाने पड़े । यह, स्वीकृत संशोधनों के आधार पर किया गया था । फिर भी, संशोधनों में अपेक्षित कुछ प्रारूपी परिवर्तनों के कारण इसे कार्मिक विभाग और संघ लोक सेवा आयोग को पुनः प्रेषण करना आवश्यक हो गया जिसके परिणामस्वरूप प्रस्तावित संशोधनों की अधिसूचना में विलम्ब हो गया । उपर्युक्त पद को भरने के लिये पूर्व में उठाए गए कदमों को संरक्षित करने हेतु संशोधन को जहां तक कि कल्याण आयुक्त, राजस्थान के पद से संबंधित है, पहली सितम्बर, 1975 से पूर्वापेक्षी प्रभाव दिए जाने का प्रस्ताव है । उपर्युक्त संशोधन पूर्वापेक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।

[फाइल संख्या ए-12018/3/74-एम० 3]

सी० आर० निम, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st April, 1976

G.S.R.657.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the president hereby makes the following rules further to amend the Mica Mines Labour Welfare Fund Organisation (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mica Mines Labour Welfare Fund Organisation (Class I and II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mica Mines Labour Welfare Fund Organisation (Class I and II Posts) Recruitment Rules 1964,—

(a) for serial No. 1(a) and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of September, 1975, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
"1A	Welfare Commissioner, Mica Mines Labour Welfare Organisation, Rajasthan	1	General Central Service, Group A, Gazetted.	Rs. 1100-50-1600	Not applicable	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) Degree or Diploma in Social Services or Social Work (Labour Welfare) or Social Welfare of a recognised University or equivalent. (iii) 10 years' administrative experience in a responsible capacity including at least 5 years' experience of handling labour problems in a Government Establishment or in a Public Undertaking or in Industry or in a Trade Union Organisation (Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified ; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes). Desirable : (i) Knowledge and experience of work in mines. (ii) Degree in law of a recognised University or equivalent."

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By transfer on deputation, failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	Transfer on deputation or transfer : Officers of the Central or State Governments holding analogous posts, or with 5 years service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent or with 7 years service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent and having experience of Labour and administrative matters. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, if a Group B Officer of the Central Government or an officer of State Government is selected for appointment to the post.

(b) after serial No. (1A) and the entries relating thereto the following serial Nos. and entries shall be inserted namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
"1B	Welfare Commissioner Mica Mines Labour Welfare Organisation, Andhra Pradesh.	1	General Central Service, Group A, Gazetted.	Rs. 1100-50-1600	Not applicable	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candida-	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) Degree or Diploma in Social Services or Social Work (Labour Welfare) or Social Welfare of a recognised University or equivalent. (iii) 10 years administrative experience in a responsible capacity including at least 5 years' experience of handling labour problems in a

1	2	3	4	5	6	7	8
						tes in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	Government Establishment or in a Public Undertaking or in Industry or in a Trade Union Organisation. (Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified ; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes). Desirable : (i) Knowledge and experience of work in mines. (ii) Degree in law of a recognised University or equivalent.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By transfer on deputation, failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	Transfer on deputation or Transfer. Officers of the Central or State Governments holding analogous posts, or with 5 years service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent or with 7 years service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent and having experience of Labour and Administrative matters. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958, if a Group B officer of the Central Government or an officer of a State Government is selected for appointment to the post.

1	2	3	4	5	6	7	8
1C.	Deputy Welfare Commissioner, Mica Mines Labour Welfare Organisation, Bihar.	1	General Central Service Group A, Gazetted.	Rs. 1100-50-1600	Not applicable	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determing the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) Degree or Diploma in Social Services or Social Work (Labour Welfare) or Social Welfare of a recognised University or equivalent. (iii) 10 years' administrative experience in a responsible capacity, including at least 5 years experience of handling labour problems in a Government Establishment or in a Public Undertaking or in Industry or in a Trade Union Organisation. (Qualifications relaxable at the Union Public Service Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified ; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes.) Desirable : (i) Knowledge and experience of work in mines. (ii) Degree in law of a recognised University or equivalent.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By transfer on deputation, failing which by transfer and failing both by direct recruitment.	Transfer on deputation or transfer. Officers of the Central or State Governments holding analogous posts, or with 5 years' service in posts in the scale of Rs.700-1300 or equivalent or with 7 years' service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent and having experience of Labour and Administrative matters. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, if a Group B officer of the Central Government or an officer of a State Government is selected for appointment to the post.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The recruitment rules for various Class I and Class II posts in the Mica Mines Labour Welfare Organisation were notified on 3-4-1964. These rules provided that the post of Welfare Commissioner, Rajasthan (the only post of Welfare Commissioner then existing be filled by "transfer on deputation, failing which by direct recruitment". Experience showed that this provision adversely operated in as much as the Ministry of Labour was not able to utilise the experience gained by officers taken initially on deputation as they would revert to their parent posts after the period of deputation was over. The result was that the Organisation was not able to build up its own cadre of Welfare Commissioners. With a view to avoiding repetitive loss of experienced officers, it was decided to obtain the services of such officers by providing "transfer" as one of the methods of recruitment. The amendments to the Recruitment Rules for the above purpose were approved by the Department of Personnel and the Union Public Service Commission on the 9th July, 1975. The existing post of Welfare Commissoiner, Rajasthan was due to fall vacant shortly and steps had to be taken to fill in the post. This was done on the basis of the approved amendments. However, owing to certain drafting changes required in the amendments which necessiated further reference to the Department of Personnel and the Union Public Commission, the notification of the proposed amendments was delayed. In order to protect the steps already taken to fill in the aforesaid post, the amendment in so far as it relates to the post of Welfare Commissioner, Rajasthan is proposed to be given retrospective effect from the 1st September, 1975. No person will be adversely affected by giving retrospective effect to the above amendments.

[File No. A. 12018/3/74-MIII]

C.R. NIM, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

नई दिल्ली, 8 मई, 1976

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 658.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (14 वां संशोधन) नियम, 1976 है।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, नियम 173-छ में, उपनियम (1) में, विद्यमानी परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि जहां कोई निर्धारिती प्रथम अनुसूची की दो या अधिक मदों के अन्तर्गत सम्मिलित उत्पाद-शुल्क माल का विनिर्माण करता है और जहां इस प्रकार विनिर्मित सभी मालों के लिए समुचित अधिकारी एक ही और वही व्यक्ति है, वहां ऐसा निर्धारिती, कलक्टर की पूर्व अनुमति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो कलक्टर द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, सभी ऐसे मालों पर शोध्य शुल्क के संदाय के लिए एक ही चालू खाता रख सकता है। परन्तु यह और भी कि जहां निर्धारिती प्रत्येक उत्पाद-शुल्क माल के लिए पृथक् चालू खाता रखता हो वहां चालू खातों में से किसी में अपर्याप्त अतिशेष रह जाने की दशा में निर्धारिती ऐसे खाते में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो कलक्टर द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अन्य चालू खाते में से, जिसमें ऐसे अन्तरण की तारीख को यथेष्ट अतिशेष हो, रकम अन्तरित कर सकता है।"

[अधिसूचना सं० 157/176/सी०ई०/फा० सं० 203/15/72-सी०एक्स. 6]

कृष्णा कान्त, अवर सचिव

(Department of Revenue and Banking)

(Revenue Wing)

New Delhi, the 8th May, 1976

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 658.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. These Rules may be called the Central Excise (Fourteenth Amendment) Rules, 1976.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in sub-rule (1) to rule 173-G, after the existing proviso, the following provisos shall be inserted, namely :—

"Provided further that where an assessee manufactures excisable goods falling under two or more items of the First Schedule and where the Proper Officer is one and the same for all the goods so manufactured, such assessee may, with the prior approval of and subject to such conditions as the Collector may specify in this behalf, maintain a single account current for payment of the duty due on all such goods :

Provided also that where an assessee maintains separately accounts current for each excisable goods he may, in the event of an insufficient balance in any of the accounts current, transfer, subject to such conditions as the Collector may specify in this behalf, an amount to such account current from another account current which has enough balance on date of such transfer."

[Notification No. 157/76-C.E./F. No. 203/15/72-CX. 6]

KRISHNA KANT, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 मई, 1976

सा० का० नि० 659 :—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारी, अर्थात् श्री एम० ए० रंगास्वामी, अपर सचिव, भारत सरकार को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है ।

[फा० सं० 671/2/74-सीमा-शुल्क-8]

के० एल० वर्मा, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th May, 1976

G.S.R. 659.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), the Central Government hereby specially empowers the following officer of the Central Government, namely, Shri M. A. Rangaswamy, Additional Secretary to the Government of India, for the purposes of the said section.

[F. No. 671/2/74-Cus. VIII]

K. L. VERMA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.